प्रश्नपत्र 5 : उच्च लेखांकन
(PAPER 5 : ADVANCED ACCOUNTING)

भाग I : मई, 2015 की परीक्षा में लागू होने या न लागू होने को दर्शाती उद्घोषणाएँ

(A) मई, 2015 की परीक्षा में लागू

(i) गैर–निगमीय स्तर–II संस्थानों को वर्गीकृत करने के आधार का पुनरीक्षण

हाल में कर अंकेक्षण सीमा में वृद्धि सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण ICAI परिषद ने गैर–निगमीय स्तर–II के संस्थानों में प्रथम आधार को परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जो कि लघु एवं मझोले उद्योगों का निर्धारण उनके आवर्त के आधार पर ₹ 40 लाख से ₹ एक करोड़ द्वारा ICAI द्वारा 7 मार्च, 2013 को जारी उद्घोषणा ''गैर–निगमीय स्तर–11 संस्थानों को वर्गीकृत करने के आधार का पुनरीक्षण'' होगा। यह पुनरीक्षण उद्घोषणाएँ 1 अप्रैल, 2012 या उसके बाद शुरू होने वाले लेखा वर्ष से लागू एवं प्रभावी होगी।

(ii) पैराग्राफ 46 कम्पनी के अतिरिक्त अन्य संस्थानों के लिए

कम्पनी मामलों के मंत्रालयों (MCA) ने निगमीय संस्थानों के लिये पैरा 46 में तथा ICAI परिषद ने कम्पनी के अतिरिक्त अन्य संस्थानों के लिये अपने लेखा मानक 11 के पैरा 46 माह फरवरी, 2014 में जोड़ा है।

46. (1) 7 दिसम्बर, 2006 से शुरू होने वाले या उसके बाद वाले वित्तीय अवधि के परिपेक्ष में (उक्त विकल्प अखण्डीय होगा और सभी विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मदों पर लागू होगा) दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा के मौद्रिक मद पूर्वावधि में प्रारम्भिक रूप से अभिलिखित या पूर्वकालीन वित्तीय विवरणों में दरों में अन्तर के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनियम अन्तर, यदि वे ह्रास योग्य पूंजीगत सम्पत्तियों के अधिग्रहण से सम्बन्धित हैं तो सम्पत्तियों के मूल्य में जोड़ा या घटाया जायेगा और कम्पनी के शेष जीवन अवधि पर अवमूल्यित किया जायेगा, तथा अन्य दशाओं में ''विदेशी मुद्रा एंव मौद्रिक मद अनुवाद अन्तर वर्णन खाते'' में समाहित कर संस्थान के वित्तीय विवरण में दर्शाया जायेगा और उक्त दीर्घकालीन सम्पत्ति या दायित्व को शेष जीवन अवधि में परिशोधित किया जायेगा प्रत्येक उक्त अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्य होगा। इस अपवाद के साथ विनियम दरों का निस्तारण अनुच्छेद 15 में वर्णित नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) उप–अनुच्छेद (1) में वर्णित संदर्भित विकल्प के उपयोग हेतु दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा एवं मौद्रिक मद के लिए सम्पत्ति या दायित्व के रूप में प्राधिकृत होंगे, यदि वे अपने प्रारम्भ की तिथि से 12 माह या उससे अधिक अवधि से विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त हो। इस शर्त के साथ कि संस्थान विकल्प उपयोग एवं परिशोधनशील राशि का प्रकटीकरण करेगा, बची हुई राशि के विकल्प का उपयोग भी समयावधि के वित्तीय विवरण से प्रत्येक बाद वाली अवधि में परिशोधित राशि शेष रहने तक परिशोधित की जायेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013

30 सितम्बर, 2014 तक घोषित कम्पनी अधिनियम, 2013 से संबंधित धाराएँ मई, 2015 की परीक्षा में लागू होंगी।

(iv) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) का निर्वहन

बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 (1949 का 10) जैसा कि समय–समय पर संशोधन किया गया कि धारा 24 की उपधारा (2A) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी विज्ञप्ति सं. DBOD No Ret. BC 48/12.02.001/2014–15 दिनांक 5 अगस्त, 2014 द्वारा यह निश्चित किया है कि सभी अनुसूचित व्यापारिक बैंक एवं स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों का वैधानिक तरलता अनुपात **उनकी शुद्ध मांग एवं समय दायित्व** (NDTL) **का घटाकर** 22 **प्रतिशत** तक करने का निर्णय लिया है जो कि 9 अगस्त, 2014 को शुरू होने वाले पखवारे से प्रभावी होगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की विज्ञप्ति संख्या RBI/2014–15/166 RPCD.RCB.BC, No 22/07.51.020/2014–15 दिनांक अगस्त 6, 2014 में निर्णय किया कि वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) राज्य/केन्द्र/सहकारी बैंकों में उनकी **शुद्ध मांग एवं समय दायित्व** (NDTL) **का** 22.5**%** से **घटाकर** 22**%** कर दिया जायेगा जो कि उक्त 9 अगस्त, 2014 को शुरू होने वाले पखवारे पर प्रभावी होगा।

(v) रोकड़ संचय अनुपात (RRK) **का अनुरक्षण**

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के रोकड़ संचय अनुपात (CRR) को 25 बिन्दु से कम करने का निर्णय लिया जो कि शुद्ध मांग एवं समय दायित्व का 4.25 प्रतिशत से 4 प्रतिशत होगा द्वारा विज्ञप्ति सं. DBOD No. BC/76/12.01.2001/2012–13 दिनांक 29 जनवरी, 2013 जो कि 9 फरवरी, 2013 से शुरू होने वाले पखवारे से प्रभावी होगा। स्थानीय क्षेत्र के बैंक भी अपनी शुद्ध मांग एव दायित्व का 3% रोकड़ संचय अनुपात दिनांक 08 फरवरी, 2013 तक एवं 9 फरवरी, 2013 से शुरू होने वाले पखवारे से अपनी शुद्ध मांग एवं समय दायित्व का 4 प्रतिशत बनाए रखने का निर्वहन करेंगे।

(vi) वैधानिक तरलता अनुपात (SCR) **को परिपक्वता श्रेणी में रखने के लिये**

पैरा 1.2 के तहत विज्ञप्ति संख्या RPCD. CO.RRB.BC No. 74/03.05.33/2013–14 दिनांक 7 जनवरी, 2014 को 'वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं प्रावधान' के लिये दिशा–निर्देश जारी किये कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) को स्वीकृत दी जाती है कि SLR प्रतिभूतियां जो कि HTM के अन्तर्गत आती हैं, उन पर कुल विनियोग का 25% तक बढ़ा सकती है। कुल विनियोग जो कि HTM के श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृत, आधिक्य SLR प्रतिभूति में जो HTM श्रेणी में आती है, यह NDTL के 24.50% से अधिक नहीं हो सकती। जो द्वितीय पखवारे के पूर्व आखरी शुक्रवार को है। एसएलआर में कमी के अनुरूप आदेश सक्षम है क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वित्तीय बाजार में अत्यधिक योगदान है। रिजर्व बैंक की विज्ञपित संख्या RBI/2014-15/168 RPCD. CO.RRB.BCNO. 25/03.05.33/2014-15 दिनांक 7 अगस्त,

© The Institute of Chartered Accountants of India

2014 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) की HTM श्रेणी के कुल विनियोग में 25% सीमा में वृद्धि स्वीकृत की बशर्ते केवल आधिक्य में एसएलआर (SLR) प्रतिभूति शामिल है। कुल SLR प्रतिभूतियाँ जो HTM श्रेणी के अन्तर्गत हैं वह NDTL के 24.00 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है जो कि 9 अगस्त, 2014 से ठीक पूर्व पिछले शुक्रवार के द्वितीय पखवारे को हैं।

(vii) प्रतिभूतियों का पुनः क्रय (संशोधन) विनियम, 2013

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियोग बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूति पुनः क्रय विनियम, 1998 में संशोधन करके प्रतिभूतियों को पुनः क्रय (संशोधित) विनियम, 2013 लागू किया है। नये अधिनियम में महत्वूपर्ण संशोधन निम्न है :

(i) कम्पनी अपनी प्रदत पूंजी तथा मुक्त संचय का 15% प्रतिशत या उससे अधिक अंशों को खुले बाजार से पुनः क्रय नहीं कर सकती है।

(ii) पुराने पुनः क्रय की कार्यवाही के समाप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पुनः क्रय का कोई भी आफर नहीं कर सकती है।

(iii) कम्पनी यह निश्चित करे कि प्रतिभूतियों के पुनः क्रय के लिये निर्धारित राशि का कम से कम 50% राशि का उपयोग अंशों के पुनः क्रय या अन्य विशेष प्रतिभूतियों के क्रय में उपयोग करना होगा।

(viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014

सेबी की विज्ञप्ति संख्या LAD-NRO/GN/2014-15/16/1729 दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 में सेबी ने गाइडलाइन, 1999 (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना) को प्रतिस्थापित करते हुए उसके स्थान पर सेवी ने (अंश आधारित कर्मचारी बेनीफिट) विनियम, 2014 बनाया है। यह अधिनियम कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान डील करता है। सूचियत कम्पनी में कर्मचारी स्टॉक क्रय, योजना, स्टॉक वृद्धि अधिकार योजना, सामान्य कर्मचारी लाभ योजना एवं अवकाश लाभ योजना। अधिनियम में योग्य कर्मचारी की परिभाषा, क्षतिपूर्ति कमेटी की संरचना, अंशों के निर्गमन की शर्तो की पूर्ति की तथा कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा सूचीयन इत्यादि। विज्ञप्ति के सम्पूर्ण जानकारी के लिये कृपया लिंक का संन्दर्भ :http./www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1414568485252.pdf.

(श्रोता : www.sebi.gov.in)

(B) मई, 15 **परीक्षा में लागू न होने वाली**

कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्मित भारतीय (Ind) **लेखा मानक**

कम्पनी मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा लागू होने की तिथि की घोषणा के बगैर अपनी वेबसाइट पर प्रायोजित 35 भारतीय लेखा मानक जारी किये गये। ये वे लेखा मानक हैं जो भारतीय लेखा मानक एवं IFRS के अंतरों को दूर करने का प्रयास करते हैं। These Ind ASs are not applicable for the students appearing in May, 15 Examination.

© The Institute of Chartered Accountants of India

भाग II : प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न

साझेदारी फर्म का कम्पनी को विक्रय

1. एक्स एवं वाई एक फर्म समान लाभालाभ अनुपात के आधार पर सांझेदारी में फर्म चला रहे हैं। उनकी इच्छा 31.03.2015 को फर्म को बन्द कर एक्स लि. कम्पनी को बेचने की है। उक्त तिथि पर फर्म की स्थिति निम्न प्रकार है :

दायित्व	₹	सम्पत्तियाँ	₹
एक्स की पूंजी	1,50,000	भूमि एवं भवन	1,00,000
वाई की पूंजी	1,00,000	फर्नीचर	40,000
लेनदार	60,000	स्टॉक	1,00,000
		देनदार	66,000
		रोकड़	4,000
	3,10,000		3,10,000

एक्स लिमिटेड कम्पनी से निम्नलिखित पर सहमति थी :

(1) भूमि एवं भवन को पुस्तक मूल्य से 20% बढ़ाकर खरीदेगी।

(2) फर्नीचर एवं स्टॉक को पुस्तक मूल्य से 15% कम पर खरीदेगी।

(3) फर्म की ख्याति का मूल्यांकन ₹ 40,000 किया जायेगा।

(4) फर्म के देनदार, रोकड़ एवं लेनदार को कम्पनी नहीं लेगी। परन्तु एजेन्ट के रूप में देनदारों का संग्रह एवं लेनदारों के भुगतान के लिये सहमत हो गई है। उक्त सेवा के लिये कम्पनी को देनदारों के संग्रह पर 5% तथा लेनदारों के भुगतान पर 3% भुगतान किया जायेगा।

(5) क्रय मूल्य का भुगतान ₹ 2 प्रीमियम ₹ 10 वाले पूर्णदत्त पर समता अंशों के रूप में करेगी। अंशों का बंटवारा साझेदारी में अन्तिम दावों के भुगतान के अनुपात में किया जायेगा।

कम्पनी ने देनदारों से सम्पूर्ण राशि संग्रह कर ली तथा लेनदारों को ₹ 1,000 छूट पर भुगतान कर दिया गया। विक्रेता कम्पनी का कम्पनी ने बची राशि का नकद भुगतान कर दिया।

साझेदारी फर्म की पुस्तकों में वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते एवं रोकड़ खाता बनाइये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

साझेदारी फर्म का समापन

2. (अ) साझेदार पी, क्यू तथा आर 31.03.2014 को समापन होने वाली साझेदारी फर्म के लिये आपसे सलाह चाहते हैं। उक्त तिथि को फर्म का आर्थिक चिट्ठा निम्न है :

दायित्व	राशि	सम्पत्तियां	राशि
		भूमि एवं भवन	50,000
पूंजी खाते :		प्लाण्ट एवं मशीनरी	46,000
पी	65,000	फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10,000
क्यू	50,500	स्टॉक	14,500
आर	32,000	छेनदार	14,000
लेनदार	16,000	बैंक में रोकड	9,000
		पी ऋण	13,000
		क्यू. ऋण	7,000
	1,63,500		1,63,500

(अ) साझेदारों का लाभ–हानि अनुपात 4 : 3 : 2 है।

(ब) साझेदारों को रोकड़ का बंटवारा प्रत्येक माह के अन्त में किया जाता है।

(स) समापन व्यवहारों का संक्षिप्त विवरण निम्न है:

जनवरी, 2015

- ₹ 9,000—देनदारों से वसूलः शेष वसूली योग्य नहीं।
- ₹ 8,000—सम्पूर्ण फर्नीचर बेचने से वसूल हुए।
- ₹ 1,000—समापन व्यय का भुगतान किया।
- ₹ 6,000—व्यापार में माह के अंत में नकद को रोक कर रखा।

फरवरी, 2015

- ₹ 1,000—समापन व्यय का भुगतान।
- पूंजी का अंशतः भुगतान, आर ने मशीन को ₹ 9,000 में स्वीकार किया (पुस्तक मूल्य ₹ 3,500)।
- ₹ 2,000—व्यापार में माह के अन्त में नकद को रोक कर रखा।

मार्च, 2015

- ₹ 38,000—शेष बचे प्लाण्ट एवं मशीन के विक्रय से प्राप्त हुआ।
- ₹ 10,000—सम्पूर्ण स्टॉक को बेचने से प्राप्त हुआ।
- ₹ 1,700—समापन व्यय का भुगतान किया।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ₹ 41,000—भूमि एवं भवन को बेचने से प्राप्त हुए।
- कोई भी नकद राशि व्यापार में रोक कर नहीं रखी।

आपसे 'अधिकतम सापेक्षिक पूंजी विधि' के आधार पर साक्षेदारों के बीच विभाजित होने वाली रोकड़ अनुसूची अपेक्षित है।

सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLPs) के लेखांकन से सम्बन्धित विचारणीय विषय

(ब) सीमित दायित्व वाली साझेदारी में शामिल साझेदारों के क्या दायित्व हैं? संक्षेप में समझाइये।

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

3. कम्पनी द्वारा स्वीकृत स्टॉक विकल्प योजना जिसका निम्न विवरण उपलब्ध है :

स्वीकृत तिथि	1 अप्रैल, 2011
उक्त के तहत आने वाले कर्मचारियों की संख्या	50
प्रति कर्मचारी की स्वीकृत विकल्प संख्या	1000
स्वीकृत तिथि को विकल्प प्रति अंश का उचित मूल्य	9

स्वामित्व का अधिकार मिलने की अवधि से तीन वर्ष लगातार नौकरी करने वाले कर्मचारी को स्वामित्व का अधिकार मिलेगा बशर्ते वर्ष 2013-14 के अन्त में अंशों का मूल्य ₹ 70 या इससे अधिक है।

यह अनुमान है कि 31.03.2012 तक 48 कर्मचारी लगातार नौकरी की शर्तें संतुष्ट करेंगे तथा 31.03.2013 को 47 कर्मचारी। वास्तव में लगातार सेवा अवधि की शर्तों को 45 कर्मचारी ने संतुष्ट किया था।

2013-14 के अन्त में अंशों का मूल्य ₹ 68 था।

प्रत्येक वर्ष में मान्यता प्राप्त व्ययों की गणना करें एवं कम्पनी की खाते में महत्वपूर्ण खाते दिखाइए।

ऋणपत्रों का शोधन

4. मलिक लि. की अधिकृत पूंजी 8,00,000 समता अंश जिनका प्रति अंश मूल्य ₹ 10 है। इनमें में से 24,000 पूर्णदत्त अंशों का निर्गमन किया गया।

कम्पनी पर ₹ 24,00,000 के शोधन के 14% ऋणपत्र शोधन के लिये अदत्त हैं, जिनका शोधन 102% पर होना है। जिस पर 31, दिसम्बर 2012 तक ब्याज का भुगतान किया गया है। उक्त तिथ को ऋणपत्र शोधन संचय खाते की बाकी ₹ 20,00,000 थी तथा (सम्बन्धित) विनियोग खाते का शेष ₹ 20,00,000 (लागत पर) है जिसका बाजार मूल्य ₹ 18,00,000 लाख है।

संचालकों ने 1 जनवरी, 2013 को ऋणपत्रों के शोधन का प्रस्ताव रखा कि ऋणपत्रधारी को विकल्प है कि चाहे तो सम्पूर्ण राशि नकद ले या प्रत्येक 100 ऋणपत्र के बदले 8 पूर्णदत्त समता अंश की दर स्वीकार करे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

75% ऋणपत्रधारियों ने अंशों में भुगतान तथा शेष में रोकड़ विकल्प का प्रयोग स्वीकार करने का निर्णय लिया। शेष के लिये रोकड़ की वसूली विनियोग को बाजार मूल्य के आधार पर व्यवस्था की जायेगी।

उपरोक्त लेनदेनों के लिये जर्नल लेखे कीजिये (रोकड़ बही के जर्नल सहित)।

प्रतिभूतियां का पुनः (वापसी) क्रय

5. 31 मार्च, 2014 को गामा लि. (गैर–सूची कम्पनी) के आर्थिक चिट्ठे का सारांश निम्नलिखित था :

समता एवं दायित्व	लाख ₹ में	सम्पत्तियां	लाख ₹ में
अधिकृत पूंजी :		स्थायी सम्पत्तियां	56,000
₹ 10 वाले समता अंश	40,000	विनियोग	12,000
निर्गमित पूंजी :		बैंक में रोकड़	6,600
₹ 10 वाले पूर्णदत्त समता अंश	32,000	व्यापारिक प्राप्य	33,000
₹ 10 वाले पूर्णदत्त 10% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश	10,000		
संचय एवं आधिक्य :			
पूंजी शोधन कोष	4,000		
प्रतिभूति प्रीमियम	3,200		
सामान्य संचय	24,000		
लाभ–हानि खाता	1,200		
9% ऋणपत्र	20,000		
व्यापारिक देय	13,200		
	1,07,600		1,07,600

1 अप्रैल, 2014 को कम्पनी ने 10% प्रीमियम पर अपने समस्त पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया एवं अपने 25% समता अंशों को ₹ 20 प्रति अंश के हिसाब से क्रय किया। इस सम्बन्ध में नकद उपलब्धता के लिये अपने समस्त विनियोग को ₹ 12,600 लाख में बेच दिया तथा कम्पनी ने प्लाण्ट की प्रतिभूति पर ₹ 8,000 लाख का बैंक ऋण लिया।

यह मानते हुए कि कम्पनी के अन्तर्नियम द्वारा अंशों के पुनः क्रय को अधिकृत किया गया तथा इसके लिये आवश्यक प्रस्ताव पास कर दिया गया है। आवश्यक जर्नल लेखे कीजिये। कानून की अधिकतम सीमा तक प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग किया गया।

प्रतिभूतियों का अभिगोपन

6. कम्पनी ने ₹ 10 वाले 2,00,000 समता अंशों का ₹ 2 प्रति अंश प्रीमियम पर सार्वजनिक निर्गमन किया। सम्पूर्ण निर्गमन का अभिगोपन, अभिगोपक एल, एम, एन एवं ओ ने क्रमशः 4 : 3 : 2 : 1 के अनुपात में किया तथा फर्म अभिगोपन का प्रावधान क्रमशः 5,000, 4,000, 2,000 तथा 2,000 अंश।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी को जनता से (फर्म अभिगोपन को छोड़कर) 1,50,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रों में से एल, एम, एन एवं ओ को क्रमशः 55,000, 40,000, 42,000 एवं 8,000 अंशों को चिह्नित किया गया।

यह मानते हुए कि अभिगोपन का लाभ व्यक्तिगत अभिगोपकों को नहीं दिया जायेगा आप प्रत्येक अभिगोपक के दायित्वों का निर्धारण उनके द्वारा लिये गये अंशों के आधार पर कीजिये।

कम्पनी का आन्तरिक पुनर्निर्माण

7. 31 मार्च, 2014 को वैभव लिमिटेड के आर्थिक चिट्ठे का सारांश निम्न है :

दायित्व	₹	सम्पत्तियाँ	₹
₹ 10 वाले समता अंश	2,00,00,000	स्थायी सम्पत्तियां	2,50,00,000
₹ 100 वाले 6% संचयी पूर्वाधिकार अंश	1,00,00,000	विनियोग (बाजार मूल्य ₹ 19,00,000)	20,00,000
₹ 100 वाले 5% ऋण्पत्र	80,00,000	चालू सम्पत्तियां	2,00,00,000
व्यापारिक देय	1,00,00,000	लाभ हानि खाता	12,00,000
करों के लिये प्रावधान	2,00,000		
	4,82,00,000		4,82,00,000

आन्तरिक पुनर्निर्माण की निम्न योजना स्वीकृत हुईः

(i) सभी वर्तमान समता अंशों को ₹ 40 तक कम करना है।

(ii) प्रत्येक पूर्वाधिकार अंश को ₹ 60 तक कम करना है।

(iii) ऋणपत्रों पर ब्याज को 6% तक बढ़ाया गया। ऋणपत्रधारी अपने वर्तमान ₹ 100 वाले ऋणपत्रों का समपर्ण करेंगे तथा ₹ 100 वाले प्रत्येक ऋणपत्र के बदले उनको ₹ 70 वाले ऋणपत्र में परिवर्तन किया जायेगा।

(iv) स्थायी सम्पत्तियों को 20% द्वारा अपलिखित किया जायेगा।

(v) चालू सम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन ₹ 90,00,000 में किया जायेगा।

(vi) विनियोग को उनके बाजार मूल्य पर लाया जायेगा।

(vii) कम्पनी का एक लेनदार (उपरोक्त आर्थिक चिट्ठा के व्यापारिक देय में शामिल है) जो कम्पनी में 40,00,000 का ऋणी है। उसने अपने 40% दावे का छोड़ने का निर्णय किया है। लेनदार को उनके पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान के लिये 60,000 समता अंश ₹ 40 प्रति अंश के हिसाब से आवंटित किये गये।

(viii) कर के दायित्व का निपटारा ₹ 3,00,000 में किया गया।

(ix) लाभ–हानि खाते के डेविट शेष को अपलिखित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त प्रभाव को शामिल करते हुए तथा आवश्यक जर्नल प्रविष्टियों के बाद का आर्थिक चिट्ठा बनाइये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी का एकीकरण

8. 31 मार्च, 2014 को पी लिमिटेड एवं क्यू लिमिटेड के आर्थिक चिटठे् का सारांश निम्न है :

दायित्व	पी लि. ₹	क्यू लि. ₹	सम्पत्तियां	पी लि. ₹	क्यू लि. ₹
अंश पूंजी			स्थायी सम्पत्तियां	7,00,000	2,50,000
समता अंश ₹ 10 प्रति	6,00,000	3,00,000	विनियोग	80,000	80,000
10% पूर्वाधिकार अंश ₹ 100 प्रति अंश	2,00,000	1,00,000	चालू सम्पत्तियां : रहतिया	2,40,000	3,20,000
संचय एवं आधिक्य	3,00,000	2,00,000	व्यापारिक प्राप्य	4,20,000	2,10,000
सुरक्षित ऋण :			बैंक में रोकड़	1,10,000	40,000
12% ऋणपत्र	2,00,000	1,50,000			
चालू दायित्व :					
व्यापारिक देय	2,50,000	1,50,000			
	15,50,000	**9,00,000**		**15,50,000**	**9,00,000**

व्यापारिक प्राप्य एवं व्यापारिक देय का विवरण निम्न है:

	पी. लि. (₹)	क्यू. लि. (₹)
व्यापरिक प्राप्य :		
देनदार	3,60,000	1,90,000
प्राप्त बिल	60,000	20,000
	4,20,000	**2,10,000**
व्यापारिक देय :		
विविध लेनदार	2,20,000	1,25,000
देय बिल	30,000	25,000
	2,50,000	**1,50,000**

दोनों कम्पनी की स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन पुस्तकीय मूल्य से 15% अधिक किया गया। व्यापार में स्कन्ध एवं देनदार को पुस्तक मूल्य से 5% कम पर लिया गया। दोनों कम्पनी 10% समता लाभांश का भुगतान करेगी। पूर्वाधिकार लाभांश का पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उपरोक्त लेनदेनों के प्रभाव के पश्चात पी. लि. में निम्नलिखित शर्तों पर क्यू लि. का विलय होगा :

(i) क्यू लि. के 6 अंशों के बदले पी. लि. ₹ 10 वाले 8 अंशों का निर्गमन करेगी।

(ii) क्यू लि. के 10% छूट पर 10% पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान पी लि. द्वारा 10% पूर्वाधिकार अंश ₹ 100 वाले प्रति अंश सममूल्य पर निर्गमन से किया जायेगा।

(iii) क्यू लि. के 12% ऋणपत्रधारियों को 8% प्रीमियम पर भुगतान के बदले पी लि. के 12% ऋणपत्र 10% छूट पर निगर्मन से किया जायेगा।

(iv) पी लि. द्वारा क्यू लि. को ₹ 30,000 समापन व्यय के लिये भुगतान करेगी। क्यू लि. के ₹ 10,000 के लेनदार पी लि. के बकाया में शामिल हैं।

आपको बनाना है :

(अ) पी लि. की पुस्तकों में जर्नल लेखे

(ब) पी लि. द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रतिफल का विवरण पत्र।

9. **कम्पनी का समापन**

निस्तारक के हाथों में शाह लि. कम्पनी के आर्थिक चिट्ठे का सारांश निम्न है :

31.03.2015 **को आर्थिक चिट्ठा**

दायित्व	₹	सम्पत्तियां	₹
अंश पूंजी :		स्थायी सम्पत्तियां	2,00,000
1,000, 6% पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंश ₹ 100 प्रति अंश	1,00,000	स्कन्ध	1,20,000
2,000 पूर्णदत्त समता अंश ₹ 100 प्रति अंश	2,00,000	पुस्तकीय देनदार	2,40,000
2,000 समता अंश ₹ 100 प्रति अंश ₹ 75 चुकता	1,5,0000	हाथ में रोकड़	40,000
बैंक से ऋण (स्टॉक के प्रतिभूति पर)	1,00,000	लाभ–हानि खाता	3,00,000
व्यापारिक देय	3,50,000		
	9,00,000		**9,00,000**

सम्पत्तियों से अग्रलिखित राशियां वसूल हुईं (समस्त वसूली लागत के बाद तथा समापक के कमीशन की राशि ₹ 5,000 का भुगतान हस्तस्थ रोकड़ में से किया गया) :

© The Institute of Chartered Accountants of India

	₹
स्थायी सम्पत्तियां	1,68,000
स्कन्ध	1,10,000
व्यापारिक प्राप्य	2,30,000

अंशतः भुगतान अंशों से याचना की गई परन्तु 200 अंशों से राशि प्राप्त नहीं हुई।

निस्तारक का भुगतान एवं प्राप्ति को दर्शाते हुए अन्तिम विवरण पत्र बनाइए।

बैंकिंग कम्पनी का वित्तीय विवरण पत्र

10. एक व्यापारिक बैंक पूंजी कोष एवं सम्पत्तियां रखती है। पूंजी कोष का वर्गीकरण श्रेणी I एवं श्रेणी II पूंजी में दिखाना है। जोखिम सम्पत्ति समायोजन एवं भारित जोखिम सम्पत्ति अनुपात की गणना कीजिए :

विवरण	राशि (करोड़ ₹ में)
समता अंश पूंजी	400.000
वैधानिक संचय	250.000
पूंजी संचय (जिसमें वैधानिक संचय के ₹ 18 करोड सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन पर देय एवं शेष पूंजी सम्पत्ति के विक्रय पर देय)	86.000
सम्पत्तियां :	
रिजर्व बैंक में रोकड़ शेष	12.00
अन्य बैंकों में शेष	20.00
अन्य विनियोग	40.00
ऋण एवं अग्रिम :	
(i) सरकार द्वारा गारण्टीयुक्त	14.50
(ii) अन्य	5,465.00
कार्यालय स्थान का फर्नीचर एवं फिक्चर्स	74.00
आर्थिक चिट्ठे के बाहर की मदें :	
(i) गारण्टी एवं अन्य जिम्मेदारियां	700.00
(ii) स्वीकृत, बेचान एवं लेटर ऑफ क्रेडिट	4,900.00

11. 31 मार्च, 2015 को सिटी बैंक लि. के रिकॉर्ड से निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त की गईं :

	₹	₹
भुनाये हुये बिलों पर छूटट् (31 मार्च, 2014 को देय नहीं है)	–	91,600

© The Institute of Chartered Accountants of India

छूट प्राप्त	–	4,05,000
बिल भुनाये	2,45,0000	–

कटौती बिलों की विवचेना निम्न के आधार पर कीजिये

	राशि	देय तिथि	कटौती की दर
	₹	2015	
(i)	7,50,000	8 अप्रैल	12%
(ii)	3,00,000	5 मई	14%
(iii)	4,40,000	12 जून	14%
(iv)	9,60,000	15 जुलाई	15%

आपसे अपेक्षित :

(i) 31 मार्च, 2015 को भुनाये हुए बिलों में कटौती की गणना कीजिये।

(ii) लाभ–हानि खाते में क्रेडिट की जाने वाले छूट की राशि।

बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण पत्र

12. 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त में एक्स वाई जेड समुद्री बीमा कम्पनी निम्न सूचनाओं के आधार पर ज्ञात कीजिए :

(i) शुद्ध प्रीमियम अर्जित (earned)

(ii) शुद्ध दावे इनकर्ड (IncuÙked)

विवरण	प्रत्यक्ष व्यापार (₹)	पुनर्बीमा (₹)
प्राप्त प्रीमियम	9,20,0000	7,86,000
01.04..2013 को प्राप्य प्रीमियम	4,59,000	37,000
31.03.2014 को प्राप्य प्रीमियम	3,94,000	33,000
प्रीमियम का भुगतान	–	6,36,000
01.04.2013 को देय प्रीमियम	–	28,000
31.03.2014 को देय प्रीमियम	–	20,000
दावे का भुगतान	73,00,000	5,80,000
01.04.2013 को देय दावे	94,000	16,000
31.03.2014 को देय दावे	1,01,000	12,000
प्राप्त दावा	–	2,10,000
01.04.2013 को प्राप्य दावे	–	42,000
31.03.2014 को प्राप्य दावे	–	39,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

विद्युत कम्पनियों का वित्तीय विवरण पत्र

13. वाटसन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट द्वारा निम्न सूचनायें प्रदान की गई हैं :

(1) व्यापारिक संचालन की तिथि/कार्य पूर्ण तिथि : 1 अप्रैल, 1995

(2) वर्ष 2010–11 के प्रारम्भ में पूंजी लागत : ₹ 135.39 करोड़

(3) उपयोगी जीवन काल : 35 वर्ष

(4) स्वीकृत पूंजीगत व्यय, वास्तविक ऋणों के पुनर्भुगतान का विस्तृत विवरण एवं ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर निम्नलिखित है :

	2010–11	2011–12	2012–13
	(करोड़ ₹)	(करोड़ ₹)	(करोड़ ₹)
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (उपर्युक्त स्वीकृत)	1.63	0.98	0.52
वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान (शुद्ध)	0.96	0.87	0.68
ऋण पर ब्याज का औसत भारित दर	7.35%	7.48%	7.50%
भूमि का मूल्य	0.00	0.00	0.00

(5) 2008–09 तक ह्रास की वसूली (Recovered) = ₹ 49.05 करोड़

(7) 2009–10 में ह्रास की वसूली = ₹ 3.26 करोड़

(8) 2009–10 तक ऋण का संचयी पुनर्भुगतान = ₹ 14.00 करोड़

उपरोक्त सूचनाओं से गणना कीजिये (अ) पूंजी लागत की राशि का 75% ऋण मानकर, ऋण पर ब्याज की गणना कीजिये। (ब) केन्द्रीय विद्युत कमीशन (टर्म्स एवं टैरिफ की शर्तें) विनियम, 2009 के आधार पर ह्रास की गणना कीजिये।

विभागीय खाते

14. मेसर्स डिवीजन की पुस्तकों से निम्नलिखित शेष प्राप्त हुये। यदि कोई है तो न वसूल हुये लाभ को समायोजित करते हुए 31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त में विभागीय व्यापार एवं लाभ–हानि खाता बनाइये—

	विभाग (अ) ₹	विभाग (ब) ₹
प्रारम्भिक स्टॉक	50,000	40,000
क्रय	6,50,000	9,10,000
विक्रय	1,00,0000	15,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

दोनों विभागों द्वारा वहन किये गये सामान्य व्यय ₹ 1,25,000 एवं आपको निम्न सूचनाएं प्रदान की जाती हैं :

(अ) अ विभाग का अन्तिम स्टॉक ₹ 1,00,000 जिसमें ब विभाग से प्राप्त ₹ 20,000 अ विभाग की लागत का माल शामिल है।

(ब) विभाग का अन्तिम स्टॉक ₹ 2,00,000 जिसमें अ विभाग से प्राप्त ₹ 30,0000 ब विभाग की लागत का माल शामिल है।

(स) अ एवं ब विभाग के प्रारम्भिक स्टॉक में क्रमशः ₹ 10,000 एवं ₹ 15,000 का माल शामिल है जो विभाग ब एवं विभाग अ से लागत पर क्रमशः हस्तान्तरी शाखा द्वारा लिया गया।

(द) वर्ष दर वर्ष सकल लाभ की दर समान है।

शाखा खाते

15. (अ) एक कम्पनी की स्वतंत्र शाखा की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिये, जहां कहीं आवश्यकता हो सुधार या समायोजन कीजिये :

(i) मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को व्यय के लिये ₹ 2,800 आबंटित किया गया लेकिन शाखा के पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया।

(ii) मुख्य कार्यालय द्वारा संदिग्ध ऋणों के लिये आयोजन खाते रखे जाते हैं, पहले ₹ 1,000 प्रावधान नहीं किया गया था।

(iii) शाखा ने मुख्य कार्यालय के मैनेजर को ₹ 3,000 वेतन का भुगतान किया परन्तु शाखा द्वारा वेतन खाते में यह राशि डेविट की गई।

(iv) शाखा ने दूसरी शाखा के ₹ 5,000 यात्रा व्यय के वहन किये लेकिन शाखा की पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया।

(v) खाते के मिलान की तिथि को शाखा द्वारा भेजा ₹ 1,50,000 अभी तक मुख्य कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) मुख्य कार्यालय ने शाखा को ₹ 75,000 मुख्य कार्यालय के व्यय के रूप में आबंटित किया जिसका शाखा ने अभी तक लेखा नहीं किया।

(vii) मुख्य कार्यालय ने सीधे ₹ 30,000 शाखा के एक ग्राहक से संग्रह किया। तथ्यों की सूचना शाखा को अभी मिली है।

(viii) ₹ 10,000 का माल मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा को भेजा गया लेकिन मिलान की तिथि तक शाखा ने माल प्राप्त नहीं किया। माल बाद में प्राप्त हुआ।

विदेशी शाखा

(ब) ए.बी.सी. लि. का मुख्य कार्यालय दिल्ली (भारत) में है तथा शाखा न्यूयॉर्क (U.S.A) में है। न्यूयॉर्क शाखा से ए.बी.सी. लिमिटेड का पूर्ण विदेशी संचालन होता है। 31 मार्च, 2015 को न्यूयॉर्क शाखा अपना तलपट तथा अग्र अतिरिक्त सूचनाएं देती है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

	डेविट ($)	क्रेडिट ($)
1 अप्रैल, 2014 का स्टॉक	150	–
क्रय एवं विक्रय	400	750
विविध देनदार एवं लेनदार	200	150
विनिमय विपत्र	60	120
विविध व्यय	540	–
बैंक शेष	210	–
दिल्ली मुख्य कार्यालय खाता	–	540
	1,560	1,560

विनिमय दर निम्न प्रकार ले सकते हैं :

- 01.04.2014 को ₹ 40 प्रति US $
- 31.03.2015 को ₹ 42 प्रति US $
- वर्ष के लिये औसत विनिमय दर ₹ 41 प्रति US $

दिल्ली की पुस्तकों में न्यूयॉर्क शाखा का 31.03.2015 को ₹ 22,190 का डेविट शेष दिखाया गया है। कोई भी मद मिलान के लिये बाकी नहीं है।

एबीसी लि. के पुस्तकों में न्यूयॉर्क शाखा का तलपट बनाइये।

वित्तीय विवरण को बनाने एवं प्रस्तुत करने के लिए ढांचा बनाइये

16. 1 अप्रैल, 2014 को मोहन ने ₹ 12,00,000 से व्यापार प्रारम्भ किया जो 60,000 इकाइयां ₹ 20 वाली का प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2015 के दौरान सम्पूर्ण इकाइयों को ₹ 30 की दर से बेच दिया। बिना पूंजी में परिवर्तन किये हुए, आप मोहन द्वारा वर्ष 2014–15 में अधिकतम आहरित (निकाली) गई राशि की गणना कीजिये, यदि ऐतिहासिक लागत विधि से वित्तीय पूंजी का निर्वाह किया जाता है।

लेखा मानक पर आधारित समस्याएं

लेखा मानक (AS) 20

17. (अ) लेखांकन वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में अ, ब लि. से निम्न सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं :

शुद्ध लाभ के लिये		₹
वर्ष	2012–13	22,00,000
वर्ष	2013–14	30,00,000

अधिकार अंशों से पूर्व बकाया अंशों की संख्या 10,00,000 अंश।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अधिकार अंश : 5 बकाया अंशों के लिये एक नया अंश *i.e.* 2,00,000 अंश

: अधिकार अंश का मूल्य ₹ 25

: अधिकार अंशों की क्रियान्वयन की आखिरी तिथि 31 जुलाई, 2013

अधिकार प्रयोग से ठीक पूर्व 31.07.2013 को अंशों का उचित मूल्य ₹ 32.

आपसे गणना की अपेक्षा है :

(i) वर्ष 2012–13 के लिये प्रति अंश मूलभूत उपार्जन।

(ii) अधिकार अंशों के लिये वर्ष 2012–13 के लिये प्रति अंश मूलभूत उपार्जन का पुनः वर्णन (Restated)।

(iii) वर्ष 2013–14 के लिये प्रति अंश मूलभूत उपार्जन।

लेखा मानक (AS)19

(ब) एक्स लि. ने तीन वर्ष की अवधि के लिये संयन्त्र का पट्टा लिया, पट्टे के उपयोगी जीवन काल की लागत ₹ 7,46,55,100 है। पट्टा अवधि के बाद पट्टेदार को संयंत्र वापस कर दिया जायेगा। आपको सूचित किया जाता है :

(i) अनुमानित गैर–गारण्टीयुक्त अवशिष्ट मूल्य केवल ₹ 1 लाख होगा।

(ii) पट्टे के वार्षिक भुगतान की संरचना इस प्रकार की जानी है जो वर्तमान मूल्य के योग में अवशिष्ट मूल्य को शामिल कर सम्पत्ति की लागत के बराबर होगी।

(iii) सन्निहित (Implicit) ब्याज की दर 10% है।

वार्षिक पट्टे भुगतान की गणना कीजिये एवं अनुपार्जित (unearned) वित्तीय आय की गणना कीजिये। वार्षिक पट्टे का भुगतान प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अन्त में होगा। पी.वी. फैक्टर (P.V. Factor) 1 से 3 वर्ष के लिये @ 10% के आधार पर क्रमशः 0.909, 0.826 एवं 0.751 है।

लेखा मानक (AS) 16

18. (अ) सुहाना लि. द्वारा 01.05.2013 को ₹ 100 लाख का 12% सुरक्षित ऋणपत्र निर्गमित किया जिसका प्रयोग निम्न प्रकार हैः

विवरण	राशि (लाख ₹ में)
कारखाना भवन का निर्माण	40
मशीन का क्रय	35
कार्यशील पूंजी	25

मार्च, 2014 को कारखाना भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था तथा मशीन अपने कार्य के लिए लगाई जा चुकी थी। 31.03.2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणपत्रों पर कुल ब्याज ₹ 11,00,000 था। वर्ष 2013-14 के दौरान

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी ने ऋणपत्र से प्राप्त धन को निरर्थक कोष (Idle fund) के रूप में बैंक की स्थायी जमा में विनियोग किया जिस पर ₹ 2,00,000 ब्याज कमाया।

लेखा मानक 16 के अनुसार ब्याज के व्यवहार को दिखाइये एवं सम्पत्ति की प्रकृति की व्याख्या कीजिये।

लेखा मानक (AS) 5

(ब) व्याख्या कीजिये कि लेखा मानक 5 के आधार पर लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया जायेगा या नहीं :

(i) अवकाश पर नियोक्ता द्वारा तदर्थ एक्स–ग्राटिया (Ex-gratia) भुगतान योजना के स्थान पर एक औपचारिक अवकाश ग्रेच्युइटी योजना को प्रस्तावित किया।

(ii) कम्पनी ने निर्णय लिया की संगठन में पांच वर्ष सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन देय। ऐसे कर्मचारी ₹ 20,000 प्रति माह पेंशन पायेंगे। पूर्व में इस प्रकार के पेंशन की योजना संगठन में नहीं थी।

लेखा मानक (AS) 11

19. (अ) लेखा मानक 11 के अनुसार निम्नलिखित दशाओं में लेखा व्यवहार को संक्षिप्त में समझाइये :

(i) व्यापारिक प्राप्य राशि में युनाइटेड स्टेट (US) से व्यापार के ₹ 5,00,000 शामिल जो कि बिक्री तिथि पर प्रचलित विनिमय दर 1$ = ₹ 38.70 पर लेखा किया गया था।

(ii) युनाइटेड स्टेट की एक कम्पनी से दीर्घकालीन ऋण ₹ 60,00,000 लिया गया। लेनदेन तिथि पर प्रचलित विनिमय दर 1$ = ₹ 35.60 पर लेखा किया गया।

वर्ष के अन्त में विनिमय दर निम्नलिखित है :

प्राप्य पर 1$ = ₹ 45.80

देय पर 1$ = ₹ 45.90

लेखा मानक (AS) 12

(ब) 01.04.2011 को एबीसी लि. को ₹ 1,500 लाख की मशीन अधिग्रहण करने के लिये सरकार से ₹ 300 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। ग्राण्ट को सम्पत्ति की लागत से क्रेडिट किया गया था। मशीन का जीवनकाल 5 वर्ष है। मशीन पर घटती दर प्रणाली (WDV) के आधार पर 20% ह्रास लगाया जाता है। कम्पनी द्वारा निश्चित शर्तों के पूरी न कर पाने के कारण मई 2014 में सरकारी ग्राण्ट वापस करनी पड़ी।

आप एबीसी लि. की पुस्तकों में वापस की गई अनुदान (ग्राण्ट) की राशि को किस प्रकार दिखायेगें?

© The Institute of Chartered Accountants of India

लेखा मानक (AS) 26

20. (अ) वर्ष 2014-15 में उद्यम ने एक कम जोखिम वाले दैनिक (सामान्य) क्रिया वाले कम्प्यूटर की लागत निकाली जो निम्न है :

	राशि (₹)
विस्तृत प्रोग्राम एवं डिजाइन को पूरा करने पर	25,000
कोडिंग एवं टेस्टिंग	20,000
अन्य कोडिंग लागत	42,000
टेस्टिंग लागत	12,000
उत्पाद विशेषज्ञों को प्रशिक्षण सामग्री	13,000
उत्पाद की पैंकिंग (1,000 इकाइयां)	11,000

आर्थिक चिट्ठा तिथि पर सॉफ्टवेयर की कौन–सी लागत का कम्पनी की पुस्तकों में पूंजीकरण किया जायेगा?

लेखा मानक (AS) 29

(ब) श्याम लि. (एक पब्लिक क्षेत्र की कम्पनी) जो परामर्श एवं इंजीनियरिंग सेवा अपने मुअक्किल (ग्राहक) को देती है। वष्र 2014–15 में सरकार ने वेतन में संशोधन के लिये एक कमीशन का गठन किया। कमीशन की संस्तुति पर 01.01.2006 से वेतन में संशोधन में प्रभावी होगा। कम्पनी ने कमीशन की संस्तुति के आधार पर वर्ष 2014-15 में अनुमानित रूप से ₹ 680 लाख का प्रावधान किया जैसा कि रिपोर्ट अभी आनी है। ग्राहक के साथ अनुबंध लागत योग कार्य (Cost Plus Job) के साथ किया गया जबकि बिलिंग कर्मचारी को वास्तविक भुगतान के आधार पर की जायेगी तथा कार्य के घण्टों का आबंटन कर्मचारी को प्रत्येक कार्य में दिये गये कार्य के आधार पर किया जायेगा।

कम्पनी ने अपने लेखे के नोट्स में निम्नलिखित प्रकटीकरण (disclosures) किया है:

''वेतन संशोधन से संबंधित ₹ 680 लाख का प्रावधान वेतन एवं लाभ में शामिल है। संविदा के अनुरूप चार्ज किये गये व्यय का कार्य में वापसी योग्य (Reimbursable Jobs) बिलिंग होगा, जब वास्तव में भुगतान किया जाता है।''

लेखाकार महसूस करता है कि अनुबंध की शर्तो के अनुसार ₹ 680 लाख का आयोजन कम्पनी के लाभ–हानि खाते में आय के रूप में मान्य हो, अन्यथा यह उपुयक्ता की अवधारणा (Matching Concept) का अतिक्रमण होगा तथा लाभ की राशि का कम प्रकटीकरण होगा।

आपसे अपेक्षित है कि लेखा मानक के प्रावधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किये गये व्यवहार पर टिप्पणी कीजिये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

सुझाए उत्तर/संकेत

1. साझेदारी फर्म की पुस्तकों में :

वसूली खाता

	(₹)		(₹)
भूमि एवं भवन	1,00,000	विविध लेनदार	60,000
फर्नीचर	40,000	एक्स लि. कं. (क्रय प्रतिफल) (WN 1)	2,79,000
स्टॉक	100,000		
देनदार	66,000	एक्स लि. कं.	
एक्स लि. कम्पनी–विविध लेनदार	59,000	विविध देनदार 66,000 *घटाओ* : कमीशन	
एक्स लि. कम्पनी–कमीशन ₹ 59,000 का 3%	1,770	(66,000 का 5%) 3,330	62,700
लाभ का स्थानांतरण :			
एक्स का पूँजी खाता 17,465			
वाई का पूँजी खाता 17,465	34,930		
	4,01,700		4,01,700

पूंजी खाता

	एक्स	वाई		एक्स	वाई
एक्स लि. कम्पनी के अंश (WN 2)	1,63,980	1,15,020	शेष आगे लाये	1,50,000	1,00,000
रोकड़ खाता (अन्तिम भुगतान)	3,485	2,445	वसूली खाता : लाभ	17,465	17,465
	1,67,465	1,17,465		1,67,465	1,17,465

रोकड़ खाता

	(₹)		(₹)
शेष आगे लाये	4,000	एक्स पूंजी खाता से (अन्तिम भुगतान)	3,485
एक्स लि. क. (देनदारों से प्राप्त राशि में से लेनदारों का भुगतान घटाने के बाद)	1,930	वाई पूंजी खाते से (अन्तिम भुगतान)	2,445
	5,930		**5,930**

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रियात्मक टिप्पणियाँ

(1) क्रय प्रतिफल की गणना :

	(₹)
भूमि एवं भवन	1,20,000
फर्नीचर	34,000
स्टॉक	85,000
ख्याति	40,000
	2,79,000

(2) एक्स लि. कम्पनी से प्राप्त अंश

एक्स एवं वाई साझेदारों के बीच अन्तिम दावों के रूप में कम्पनी से प्राप्त अंश को निम्न अनुपात में विभाजित किया गया अर्थात् 1,67,465 : 1,17,465

कम्पनी से प्राप्त अंशों की संख्या = $\frac{2,79,000}{12}$ = 23, 250

एक्स को प्राप्त = $\frac{23,250 \times 1,67,465}{2,84,930}$ = 13,665 अंश

अंशों का मूल्य = 13,665 × 12 = ₹ 1,63,980

शेष वाई को प्राप्त = 9,585 अंश जिसका मूल्य (9,585 × 12) = ₹ 1,15,020

(3) एक्स लि. से शुद्ध प्राप्त राशि की गणना–

	₹
देनदारों से वसूली राशि	66,000
घटाओ : देनदारों से वसूली राशि पर कमीशन (66,000 का 5%)	3,300
	62,700
घटाओ : लेनदारों को भुगतान राशि	59,000
	3,700
घटाओ : लेनदारों को नकद भुगतान पर कमीशन	1,770
शुद्ध राशि प्राप्त	1,930

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. (अ)

विवरण	रोकड़ (₹)	लेनदार (₹)	पूंजी		
			पी (₹)	क्यू (₹)	आर (₹)
ऋण के बाद शेष देय		16,000	52,000	43,500	32,000
जनवरी					
उपलब्ध शेष	9,000				
व्यय एवं रोकड़ रिटेन (Retained) को घटाने के बाद वसूली	10,000				
उपलब्ध राशि एवं भुगतान	19,000	(16,000)	-	-	(3,000)
देय शेष	-	-	**52,000**	**43,500**	**29,000**
फरवरी					
प्रारम्भिक शेष	6,000				
व्यय का भुगतान एवं रोकड़ आगे ले गये	3,000				
वितरण के लिये उपलब्ध	3,000				
क्यू को रोकड़ में भुगतान एवं आर को मशीन दी			-	3,000	9,000
देय शेष	-		**52,000**	**40,500**	**20,000**
मार्च					
प्रारम्भिक शेष	2,000				
खर्च घटाने के बाद वसूल राशि	87,300				
साक्षेदारों को भुगतान राशि	89,300		41,689	32,767	14,844
हानि			**10,311**	**7,733**	**5,156**

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रियात्मक टिप्पणी

(1) **अधिकतम सापेक्षिक पूँजी आधार–**

	पी (₹)	क्यू (₹)	आर (₹)
जनवारी, 2015 के लिये भुगतान योजना			
पूँजी खाते का शेष	65,000	50,500	32,000
घटाओ : ऋण	(13,000)	(7,000)	–
(A)	52,000	43,500	32,000
लाभ विभाजन अनुपात	4	3	2
पूँजी / लाभ विभाजन अनुपात	13,000	14,500	16,000
पी की पूंजी के आधार पर पूंजी लाभ–हानि अनुपात (B)	52,000	39,000	26,000
आर एवं क्यू का पूँजी आधिक्य (A–B)(i)	–	4,500	6,000
लाभ–हानि अनुपात		3	2
पूंजी / लाभ विभाजन अनुपात		1,500	3,000
क्यू की पूँजी के आधार पर पूँजी लाभ–हानि अनुपात (ii)		4,500	3,000
आर की पूँजी का आधिक्य क्यू की पूँजी पर (i – ii)	–	–	3,000

(2) **मार्च के लिए उपलब्ध रोकड़ के वितरण की योजना–**

	पी (₹)	क्यू (₹)	आर (₹)
फरवरी माह के अन्त में पूंजी खाते का शेष (A)	52,000	40,500	20,000
लाभ–हानि अनुपात	4	3	2
पूंजी / लाभ विभाजन अनुपात	13,000	13,500	10,000
आर की पूंजी के आधार पर पूंजी लाभ–हानि अनुपात मेंपर (B) (i)	40,000	30,000	20,000
पी. एवं क्यू. की पूंजी का आधिक्य (A – B) (i)	12,000	10,500	
लाभ विभाजन अनुपात	4	3	
पूंजी / लाभ विभाजन अनुपात	3,000	3,500	

© The Institute of Chartered Accountants of India

पी. की पूंजी के आधार पर पूंजी लाभ–हानि अनुपात में (ii)	12,000	9,000	
क्यू की पूंजी का आधिक्य पी की पूंजी पर (i – ii)	-	1,500	
भुगतान ₹ 1,500 (C)		(1,500)	
पूंजी आधिक्य शेष (i – C)	12,000	9,000	
भुगतान ₹ 21,000 (D)	(12,000)	(9,000)	
शेष देय (A – C – D)	40,000	30,000	20,000
शेष नकद भुगतान (89,300 – 22,250) = ₹ 66,800 (E)	(29,689)	(22,267)	(14,844)
कुल भुगतान (C + D + E) (iii)	41,689	32,767	14,844
हानि (A – iii)	10,311	7,733	5,156

(ब) डिजेगनेटेड साझेदारों का दायित्व—

सीमित दायित्व साझेदारी की धारा 8 के अनुसार जब तक इसका प्रावधान न किया गया हो तब तक एक डिजेगनेटेड (designated) साझेदार होंगे–

(i) इस अधिनियम तथा साझेदारी समझौते के अनुरूप सीमित दायित्व वाले साझेदार को प्रपत्र रिटर्न, विवरण पत्र, शपथ इत्यादि को शामिल करते हुए सभी कार्य करने हैं तथा वह समस्त कार्य के प्रति जिम्मेदार होगा।

(ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत सीमित दायित्व वाले साझेदारों के ऊपर उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने पर दण्ड देने का प्रावधान है।

3. तीन वर्षों की सतत सेवा की सेवा शर्त एवं वर्ष 2013-14 के अन्त में ₹ 70 से कम अंशों का मूल्य न होने की बाजार शर्तें, उपरोक्त दो शर्तो के सन्तुष्ट होने पर ही स्वामित्व अधिकार का विकल्प उत्पन्न होता है। 31.03.2014 को अंशों का मूल्य ₹ 68 है इसलिये वास्तविक स्वामित्व का अधिकार मिलना शून्य है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी तीन वर्ष बाद जो अवधि वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के मूल्य विकल्प को मान्यता देगी।

वर्ष 2011–12

विकल्प अंशों का उचित मूल्य प्रति अंश = ₹ 9

इस योजना के अन्तर्गत सम्भावित अंशों की संख्या = 48 × 1,000 = 48,000

उचित मूल्य = 48,000 × 9 = ₹ 4,32,000

सम्भावित स्वामित्व का अधिकार मिलने की अवधि = 3 वर्ष

2011–12 में विकल्प का मूल्य खर्चे के रूप में मान्य = 4,32,000/3 = ₹ 1,44,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

वर्ष 2012–13

विकल्प अंशों का उचित मूल्य प्रति अंश = ₹ 9

इस योजना के अन्तर्गत संभावित अंशों की संख्या = 47 × 1,000 = 47,000

उचित मूल्य = 47,000 × 9 = ₹ 4,23,000

सम्भावित स्वामित्व का अधिकार मिलने की अवधि = 3 वर्ष

वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में विकल्प का संचयी मूल्य खर्चों के रूप में मान्य

= (4,23,000/3) × 2 = ₹ 2, 82,000

2011-12 में विकल्प का मूल्य खर्चों के रूप में मान्य = ₹ 1,44,000

2012-13 में विकल्प का मूल्य खर्चों के रूप में मान्य

= 2,82,000 – 1,44,000 = ₹ 1,38,000

वर्ष 2013–14

विकल्प अंशों का उचित मूल्य प्रति अंश = ₹ 9

इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक अंशों की संख्या = 45 × 1,000 = ₹ 45,000

उचित मूल्य = 45,000 × 9 = ₹ 4,05,000

स्वामित्व का अधिकार मिलने की अवधि = 3 वर्ष

2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में विकल्प का संचयी मूल्य खर्चों के रूप में मान्य

= ₹ 4,05,000

2011-12 एवं 2012-13 में विकल्प का मूल्य खर्चे के रूप में मान्य = ₹ 2,82,000

वर्ष 2013-14 में विकल्प का मूल्य खर्चे के रूप में मान्य

= 4,05,000 – 2,82,000 = ₹ 1,23,000

कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता

वर्ष	विवरण	राशि	वर्ष	विवरण	राशि
2011-12	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना अदत्त खाता	1,44,000	2011-12	लाभ–हानि खाता	1,44,000
		1,44,000			1,44,000
2012-13	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना अदत्त खाता	1,38,000	2012-13	लाभ–हानि खाता	1,38,000
		1,38,000			1,38,000
2013-14	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना अदत्त खाता	1,23,000	2013-14	लाभ–हानि खाता	1,23,000
		1,23,000			1,23,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP) अदत्त खाता

वर्ष	विवरण	राशि	वर्ष	विवरण	राशि
2011–12	शेष आगे ले गये	1,44,000	2011–12	कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता	1,44,000
		1,44,000			1,44,000
2012–13	शेष आगे ले गये	2,82,000	2012–13	शेष आगे लाये कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता	1,44,000 1,38,000
		2,82,000			2,82,000
2013–14	सामान्य संचय	4,05,000	2013–14	शेष आगे लाये कर्मचारी क्षतिपूर्ति खाता	2,82,000 1,23,000
		4,05,000			4,05,000

4. **जर्नल लेखे**

2013			₹	₹
जनवरी	14% ऋणपत्र खाता	डेबिट	24,00,000	
	ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता	डेबिट	48,000	
	ऋणपत्रधारी खाता			24,48,000
	(₹ 24,00,000 ऋणपत्र का शोधन 2% प्रीमियम पर)			
	ऋणपत्र शोधन संचय खाता	डेबिट	48,000	
	ऋणपत्र शोधन प्रीमियम खाता			48,000
	(शोधन पर प्रीमियम को ऋणपत्र शोधन संचय खाते से समायोजन करने पर)			
	ऋणपत्रधारी खाता $\left(24,48,000 \times \frac{75}{100}\right)$	डेबिट	18,36,000	
	समता अंश पूंजी खाता (1,44,000 × ₹ 10)			14,40,000
	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (1,44,000 × ₹2.75)			3,96,000
	(75% ऋणपत्रधारी जिन्होंने परिवर्तन विकल्प योजना का विकल्प स्वीकार किया उनको ₹ 10 वाले ₹ 2.75 प्रीमियम पर 1,44,000 अंशों का निर्गमन किया)			

© The Institute of Chartered Accountants of India

	बैंक खाता डेबिट	6,12,000	
	लाभ–हानि खाता डेबिट	68,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय विनियोग खाता		6,80,000
	(विनियोग बेचा गया तथा हानि को लाभ–हानि खाता में हस्तान्तरण किया गया)		
	ऋणपत्रधारी खाता (24,48,000 × 25%) डेबिट	6,12,000	
	बैंक खाता		6,12,000
	(25% ऋणपत्रधारी को रोकड़ भुगतान किया गया)		
	ऋणपत्र शोधन संचय खाता डेबिट	18,84,000	
	सामान्य संचय खाता		18,84,000
	(100% ऋणपत्र शोधन पर ऋणपत्र शोधन संचय खाते का शेष हस्तान्तरण किया गया)		
	विनियोग खाता डेबिट	13,20,000	
	ऋणपत्र शोधन संचय विनियोग खाता		13,20,000
	(ऋणपत्र शोधन संचय विनियोग खाते के शेष को विनियोग (सामान्य) खाते में हस्तान्तरण)		

क्रियात्मक टिप्पणी

		₹
(1)	प्रत्येक ₹ 100 के ऋणपत्र पर शोधन पर देय राशि प्रीमियम शामिल	102
	घटाओ : प्रत्येक ऋणपत्र के शोधन के लिए ₹ 10 वाले 8 अंशों के निर्गमन का अंकित मूल्य (8 × 10)	80
	8 अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम	22
	अतः प्रत्येक अंशों पर प्रीमियम $\left(\frac{22}{8}\right)$	2.75
(2)	75% ऋणपत्रों के परिवर्तन के लिये निर्गमित अंशों की संख्या 100 ऋणपत्र के लिये @ 8 अंश अर्थात् ₹ $24,00,000 \times \frac{75}{100} \times \frac{8}{100} = 1,44,000$ अंश	
(3)	बचे हुए 25% ऋणपत्रधारी जिन्होंने रोकड़ विकल्प का चुनाव किया भुगतान राशि अर्थात् ₹ $24,00,000 \times \frac{25}{100} \times \frac{102}{100}$ = ₹ 6,12,000	

© The Institute of Chartered Accountants of India

(4)	₹ 6,80,000 अंकित मूल्य के विनियोग को बेचने से वसूल राशि ₹ 6,12,000 होगी। $\left(\text{अर्थात्}\ \frac{20,00,000}{18,00,000}\times 6,12,000\right)$ विनियोग के विक्रय पर हानि (6,80,000 − 6,12,000) = ₹ 68,000	
(5)	ऋणपत्र शोधन संचय का सामान्य संचय में हस्तांतरण (20,00,000 − 48,000 − 68,000) = ₹ 18,84,000	

5. **गामा लि. की पुस्तकों में**

जर्नल लेखे

		डेबिट	क्रेडिट
		(लाख ₹ में)	
1.	बैंक खाता डेबिट	12,600	
	विनियोग खाता		12,000
	लाभ–हानि खाता		600
	(विनियोग को बेच कर उसके लाभ को लाभ–हानि खाते में क्रेडिट किया गया)		
2.	बैंक खाता डेबिट	8,000	
	बैंक ऋण खाता		8,000
	(वित्त को वापस करने के लिये बैंक से ऋण लिया)		
3.	10% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता डेबिट	10,000	
	शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर देय प्रीमियम डेबिट	1,000	
	पूर्वाधिकार अंशधारी खाता		11,000
	(10% प्रीमियम पर पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया)		
4.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता डेबिट	1,000	
	शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों पर देय प्रीमियम खाता		1,000
	(प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम के लिये किया गया)		
5.	समता अंश पूंजी खाता डेबिट	8,000	
	पुनर्खरीद पर देय प्रीमियम भुगतान खाता डेबिट	8,000	
	समता अंश पुनर्खरीद खाता		16,000
	(पुनर्खरीद पर राशि बकाया)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

6.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता (3,200–1,000)	डेबिट	2,200	
	सामान्य संचय खाता (शेष राशि)	डेबिट	5,800	
	पुनर्खरीद पर प्रीमियम देय खाता			8,000
	(पुनर्खरीद पर देय प्रीमियम को प्रथम प्रतिभूति प्रीमियम से तथा शेष राशि सामान्य संचय से उपलब्ध की जायेगी)			
7.	बैंक खाता	डेबिट	8,000	
	बैंक ऋण खाता			8,000
	(वित्तीय पुनर्खरीद के लिये बैंक से ऋण लिया)			
8.	पूर्वाधिकार अंशधारी खाता	डेबिट	11,000	
	समता अंश पुनर्खरीद खाता	डेबिट	16,000	
	बैंक खाता			27,000
	(पूर्वाधिकार अंशधारी एवं समता अंशधारी का भुगतान बना)			
9.	सामान्य संचय खाता (10000 + 8000)	डेबिट	18,000	
	पूंजी शोधन संचय खाता			18,000
	(समता अंश वापस क्रय एवं शोधन पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य तक की राशि को पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तान्तरण किया गया)			

6. प्रत्येक अभिगोपक के दायित्व की गणना यह मानते हुए कि फर्म अभिगोपन का लाभ व्यक्तिगत अभिगोपकों को नहीं दिया गया है।

विवरण	अंशों की संख्या				
	एल	एम	एन	ओ	कुल
सकल दायित्व	80,000	60,000	40,000	20,000	2,00,000
घटाओ : चिह्नित आवेदन पत्र (फर्म अभिगोपन को शामिल न करते हुए)	(55,000)	(40,000)	(42,000)	(8,000)	(1,45,000)
शेष राशि	25,000	20,000	(2,000)	12,000	55,000
घटाओ : एन के आधिक्य को 4 : 3 : 1 में एल, एम तथा ओ को आबंटन किया	(1,000)	(750)	2,000	(250)	–
शेष	24,000	19,250	–	11,750	55,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

घटाओ : अचिह्नित आवेदन पत्र फर्म आवेदन पत्र को शामिल करते हुए (WN)	(7,200)	(5,400)	(3,600)	(1,800)	(18,000)
शुद्ध दायित्व	16,800	13,850	(3,600)	9,950	37,000
घटाओ : एन का आधिक्य एल, एम, ओ को 4 : 3 : 1 के अनुपात में आबंटन	(1,800)	(1,350)	3,600	(450)	–
शेष	15,000	12,500	–	9,500	37,000
जोड़ो : फर्म अभिगोपन	5,000	4,000	2,000	2,000	13,000
कुल दायित्व	20,000	16,500	2,000	11,500	50,000

क्रियात्मक टिप्पणी

विवरण	अंशों की संख्या
जनता से प्राप्त आवेदन पत्र	1,50,000
जोड़ो : फर्म अभिगोपन	13,000
कुल आवेदन पत्र	1,63,000
घटाओ : चिह्नित आवेदन पत्र	(1,45,000)
अचिह्नित आवेदन पत्र फर्म में अभिगोपन को शामिल करते हुए	18,000

7. वैभव लि. की पुस्तकों में जर्नल लेखे

		₹	₹
(i)	समता अंश पूंजी खाता (₹ 100) डेबिट	2,00,00,000	
	समता अंश पूंजी खाता (₹ 40)		80,00,000
	पूंजी कमी खाता		1,20,00,000
	(पुनर्निर्माण योजना के तहत ₹ 100 वाले अंशों का ₹ 40 के अंशों में परिवर्तन)		
(ii)	6% संचयी पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता (₹ 100) डेबिट	1,00,00,000	
	6% संचयी पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता (₹ 60)		60,00,000
	पूंजी कमी खाता		40,00,000
	(₹ 100 वाले 6% संचयी पूर्वाधिकार अंशों का परिवर्तन ₹ 60 वाली संचयी पूर्वाधिकार अंशों में किया गया)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii)	5% ऋणपत्र खाता (₹ 100) डेबिट	80,00,000	
	6% ऋणपत्र खाता (₹ 70)		56,00,000
	पूंजी कमी खाता		24,00,000
	(5% वाले ऋणपत्रधारियों को 6% ऋणपत्र ₹ 70 प्रति के हिसाब से निर्गमित किये गये शेष राशि को पूंजी कमी खाते में हस्तान्तरण किया गया)		
(iv)	व्यापारिक देय खाता डेबिट	40,00,000	
	समता अंश पूंजी खाता (₹ 40)		24,00,000
	पूंजी कमी खाता		16,00,000
	(पुनर्निर्माण योजना के तहत ₹ 40,00,000 के लेनदारों ने 40% राशि अपने दावे को छोड़ने को तैयार हो गये, उनके पूर्ण भुगतान में 60,000 समता अंश ₹ 40 प्रति अंश के हिसाब से आबंटित किया गया)		
(v)	करो के लिये आयोजन खाता डेबिट	2,00,000	
	पूंजी कमी खाता डेबिट	1,00,000	
	करों के लिये दायित्व खाता		3,00,000
	(देय तिथि पर निपटारे के लिये आयोजन खाते को कर दायित्व में परिवर्तन किया गया)		
(vi)	पूंजी कमी खाता डेबिट	1,99,00,000	
	लाभ–हानि खाता		12,00,000
	स्थायी सम्पत्ति खाता		50,00,000
	चालू सम्पत्ति खाता		1,10,00,000
	विनियोग खाता		1,00,000
	पूंजी संचय खाता (शेष राशि)		26,00,000
	(पूंजी कमी खाते का उपयोग लाभ–हानि खाते के डेबिट शेष, स्थायी सम्पत्ति, चालू सम्पत्ति विनियोग एवं शेष राशि पूंजी संचय हस्तान्तरण में उपयोग की गयी)		
(vii)	करों के लिये दायित्व खाता डेबिट	3,00,000	
	चालू सम्पत्ति खाता (बैंक खाता)		3,00,000
	(कर दायित्व का भुगतान करने पर)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

31.03.2014 को (पुनर्निर्माण के पश्चात्) वैभव लि. का आर्थिक चिट्ठा

विवरण	नोटस	(₹)
समता एव दायित्व		
1. अंशधारियों का कोष		
(अ) अंश पूंजी	1	1,64,00,000
(ब) संचय एवं आधिक्य	2	26,00,000
2. गैर–चालू दायित्व		
दीर्घकालीन उधार	3	56,00,000
3. चालू दायित्व		
व्यापारिक देय (1,00,00,000 – 40,00,000)	–	60,00,000
कुल		3,06,00,000
सम्पत्तियाँ		
4. गैर–चालू सम्पत्तियाँ		
(अ) स्थायी सम्पत्तियाँ		
दृश्य सम्पत्तियाँ	4	2,00,00,000
(ब) विनियोग	5	19,00,000
5. चालू सम्पत्तियाँ	6	87,00,000
योग		3,06,00,000

लेखों पर नोट्स

1. **अंश पूंजी**		
समता अंश पूंजी		
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी		
2,60,000 समता अंश ₹ 40 प्रति अंश (60,000 अंश रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमित किये)		1,04,00,000
पूर्वाधिकार अंश पूंजी		
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी		
1,00,000 6% संचयी पूर्वाधिकार ₹ 60 प्रति अंश		6,00,0000
योग		1,64,00,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

2.	**संचय एवं आधिक्य**		
	पूंजी संचय		26,00,000
3.	**दीर्घकालीन ऋण**		
	सुरक्षित		
	6% ऋणपत्र		56,00,000
4.	**दृश्य सम्पत्ति**		
	स्थायी सम्पत्तियां	2,50,00,000	
	पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत समायोजन	(50,00,000)	2,00,00,000
5.	**विनियोग**	20,00,000	
	पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत समायोजन	(1,00,000)	19,00,000
6.	**चालू सम्पत्तियॉ**	2,00,00,000	
	पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत समायोजन	1,10,00,000	
		90,00,000	
	कर दायित्व का भुगतान	(3,00,000)	87,00,000

क्रियात्मक टिप्पणियाँ :

पूंजी कमी खाता

करारोपण के लिये दायित्व	1,00,000	समता अंश पूंजी खाता	1,20,00,000
लाभ–हानि खाता	12,00,000	6% संचयी पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता	40,00,000
स्थायी सम्पत्तियाँ	50,00,000	5% ऋणपत्र खाता	24,00,000
चालू सम्पत्तियाँ	1,10,00,000	लेनदार खाता	16,00,000
विनियोग	1,00,000		
पूंजी संचय (शेष राशि)	26,00,000		
	2,00,00,000		**2,00,00,000**

8. (अ)

पी. लि. की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ

	डेबिट	क्रेडिट
स्थायी सम्पत्तियां खाता डेबिट	1,05,000	
पुनर्मूल्यांकन संचय खाता		1,05,000
(स्थायी सम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन पुस्तक मूल्य से 15% अधिक पर किया गया)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

संचय एवं आधिक्य खाता	डेबिट	60,000	
समता लाभांश खाता			60,000
(10% समता लाभांश घोषित किया गया)			
समता लाभांश खाता	डेबिट	60,000	
बैंक खाता			60,000
(समता लाभांश का भुगतान किया गया)			
व्यापार क्रय खाता	डेबिट	4,90,000	
क्यू लि. का निस्तारक खाता			4,90,000
(क्यू लि. के व्यापार लेने पर प्रतिफल का भुगतान किया)			
स्थायी सम्पत्ति खाता (₹ 2,50,000 का 115%)	डेबिट	2,87,500	
स्कन्ध खाता (₹ 3,20,000 का 95%)	डेबिट	3,04,000	
देनदार खाता	डेबिट	190,000	
प्राप्य विपत्र खाता	डेबिट	20,000	
विनियोग खाता	डेबिट	80,000	
बैंक में रोकड़ खाता (40,000–30,000 लाभांश भुगतान)	डेबिट	10,000	
ड्बत ऋण आयोजन खाता (₹ 19,000 का 5%)			9,500
विविध लेनदार खाता			1,25,000
क्यू लि. के 12% ऋणपत्र खाता			1,62,000
देय बिल खाता			25,000
व्यापार क्रय खाता			4,90,000
पूंजी संचय खाता (शेष राशि)			80,000
(क्यू लि. से विविध सम्पत्तियों एवं दायित्वों का समामेलन सहमति मूल्य पर किया गया तथा शुद्ध सम्पत्ति एवं क्रय प्रतिफल के अन्तर को पूंजी संचय खाते में क्रेडिट किया गया)			
क्यू. लि. का निस्तारक खाता	डेबिट	4,90,000	
समता अंश पूंजी खाता			4,00,000
10% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता			90,000
(क्यू लि. के व्यापार के लिये क्रय प्रतिफल का भुगतान किया गया)			
क्यू लि. में 12% ऋणपत्र खाता (₹ 1,50,000 × 108%)	डेबिट	1,62,000	
ऋणपत्रों के निर्गमन पर छूट		18,000	
12% ऋणपत्र खाता			1,80,000
(क्यू लि. के ऋणपत्रधारियों को 12% ऋणपत्र का 10% छूट पर आबंटन किया गया)			

© The Institute of Chartered Accountants of India

विविध लेनदार खाता	डेबिट	10,000	
विविध देनदार खाता			10,000
(आन्तरिक सहमति से निरस्त)			
ख्याति खाता	डेबिट	30,000	
बैंक खाता			30,000
(क्यू लि. के समापन व्यय का पुनर्भरण)			
पूंजी संचय खाता	डेबिट	30,000	
ख्याति खाता			30,000
(ख्याति का अपलेखन किया गया)			

(ब) **30,000 अंशों के लिये पी लि. द्वारा देय प्रतिफल का विवरण पत्र (भुगतान विधि)**

आबंटन किये गये अंश $= \frac{30.000}{6} \times 8$ = पी लि. के 40,000 अंश

₹ 10 वाले 40,000 अंशों का निर्गमन = ₹ 4,00,000 (i)

10% पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान 10% छूट पर किया जायेगा

$\frac{1,00,000 \times 90}{100}$ = ₹ 90,000 (ii)

प्रतिफल की राशि (i) + (ii) = ₹ 4,90,000

9. निस्तारक का प्राप्ति तथा भुगतान का अन्तिम विवरण पत्र

				₹
हस्तस्थ रोकड़		40,000	निस्तारक का परिश्रमिक एवं व्यय	5,000
सम्पत्ति से वसूली :			व्यापारिक देय	3,50,000
स्थायी सम्पत्तियाँ	1,68,000		पूर्वाधिकार अंशधारी	1,00,000
स्कन्ध (1,10,000–1,00,000)	10,000		समता अंशधारी को ₹ 10 प्रति अंश 2,000 अंशों पर	20,000
पुस्तकीय देनदार	2,30,000	4,08,000		
रोकड़–1,800 समता अंशों पर ₹ 15 प्रति अंश की मांग		27,000		
		4,75,000		**4,75,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रियात्मक टिप्पणियाँ

प्रति समता अंश पर लाभ (Return)

	₹
पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान से पूर्व उपलब्ध रोकड़ (4,48,000 – 3,55,000)	93,000
जोड़ो : काल्पनिक (Notional) मांग 1,800 अंशों पर (2,000 –200) × ₹ 25	45,000
	1,38,000
घटाओ : पूर्वाधिकार अंश पूंजी	(1,00,000)
समता अंशधारियों के लिये उपलब्ध	38,000
प्रति अंश वापसी = $\frac{38,000}{3,800(4,000-200)}$ = ₹ 10	
हानि प्रति समता अंश = (100 – 10) = ₹ 90	

1,800 अंशों पर ₹ 15 (90 – 75) प्रति अंश की दर से मांग की गयी

10. (अ) टियर I एवं टियर II पूंजी कोष की गणना

		राशि (₹ करोड़ में)
(i)	**पूंजी कोष–टियर I**	
	समता अंश पूंजी	400.00
	वैधानिक संचय	250.00
	पूंजी संचय (सम्पत्ति के विक्रय से उत्पन्न अर्थात् 86 करोड़ – 18 करोड़)	68.00
		718.00
(ii)	**पूंजी कोष–टियर II**	
	पूंजी संचय (सम्पत्ति के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न) 18.00	
	घटाओ : 55% तक छूट 9.90	8.10
		726.10

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) जोखिम समायोजित सम्पत्तियाँ

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	भार का %	राशि (₹ करोड़ में)
जोखिम सम्पत्तियों के लिये कोष व्यवस्था			
भारतीय रिजर्व बैंक में रोकड़ शेष	12.00	0	0.00
अन्य बैंकों के साथ शेष	20.00	20	4.00
अन्य विनियोग	40.00	100	40.00
ऋण एवं अग्रिम			
(i) सरकार द्वारा गारण्टी प्राप्त	14.50	0	0.00
(ii) अन्य	5,465.00	100	5,465.00
भवन, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	74.00	100	74.00
योग (i)			5,583.00
आर्थिक चिट्ठे के अतिरिक्त मद			
गारण्टी एवं अन्य उत्तरदायित्व	700.00	100	700.00
स्वीकृत, बेचान एवं उधार पत्र	4,900.00	100	4,900.00
योग (ii)			5,600.00
कुल योग (i) + (ii)			11,183.00

जोखिम भारित सम्पत्तियां अनुपात

$$= \frac{\text{पूंजी कोष} \times 100}{\text{जोखिम समायोजित सम्पत्तियां}}$$

$$= (726.10 / 11{,}183) \times 100$$

$$= 6.49\%$$

11. (i) भुनाये हुए बिलों पर कटौती (रिबेट) की गणना

क्रम संख्या	राशि (₹)	देय तिथि 2015	असमाप्त अंश	कटौती की दर	भुनाये हुए बिलों पर कटौती (₹)
(i)	7,50,000	8 अप्रैल	8 दिन	12%	1,972
(ii)	3,00,000	5 मई	35 दिन	14%	4,028
(iii)	4,40,000	12 जून	73 दिन	14%	12,320
(iv)	9,60,000	15 जुलाई	106 दिन	15%	41,820
					60,140

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) कटौती की राशि को लाभ–हानि खाते में क्रेडिट करना

	₹
31 मार्च, 2014 को भुनाये हुए बिलों पर कटौती से हस्तान्तरण	91,600
जोड़ो : 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान प्राप्त कटौती	4,05,000
	4,96,600
घटाओ : 31 मार्च, 2015 पर भुनाये हुए बिलों पर कटौती	60,140
लाभ–हानि खाते में छूट क्रेडिट	4,36,460

12. एक्स वाई जेड मेरिन इन्श्योरेन्स बीमा लि. की पुस्तकों में

(i)	**शुद्ध अर्जित प्रीमियम**		
	प्रत्यक्ष व्यापार से प्रीमियम		92,00,000
	जोड़ो : 31.03.2014 को प्राप्य		3,94,000
	घटाओ : 31.03.2013 को प्राप्य		(4,59,000)
		सब–योग (अ)	91,35,000
	पुनर्बीमा पर प्रीमियम स्वीकार		7,86,000
	जोड़ो : 31.03.2014 प्राप्य		33,000
	घटाओ : 01.04.2013 प्राप्य		(37,000)
		सब–योग (ब)	7,82,000
	पुनर्बीमा प्रीमियम (Ceded)		6,36,000
	जोड़ो : 31.03.2014 को देय		20,000
	घटाओ : 01.04.2013 को देय		(28,000)
		सब–योग (स)	6,28,000
	अर्जित प्रीमियम (अ+ब+स)		92,89,000
(ii)	**शुद्ध दावे इनकर्ड**		
	प्रत्यक्ष व्यापार में दावे का भुगतान		73,00,000
	जोड़ो : 31.03.2014 को अदत्त		1,01,000
	घटाओ : 1.04.2013 को अदत्त		(94,000)
		सब–योग (अ)	73,07,000

© The Institute of Chartered Accountants of India

	पुनर्बीमा दावे	5,80,000
	जोड़ो : 31.03.2014 को अदत्त	12,000
	घटाओ : 01.04.2013 को अदत्त	(16,000)
	सब–योग (ब)	5,76,000
	पुनर्बीमा दावों से प्राप्त	2,10,000
	जोड़ो : 31.03.2014 को अदत्त	39,000
	घटाओ : 01.04.2013 को अदत्त	(42,000)
	सब–योग (स)	2,07,000
शुद्ध दावे इनकर्ड (IncuÙked) (अ + ब + स)		76,76,000

13. (अ) ऋण पर ब्याज

	2010–11 ₹	2011–12 ₹	2012–13 ₹
प्रारम्भिक पूंजी लागत (अ)	135.39	137.02	138
सकल प्रारम्भिक ऋण – (अ) का 70% स्वीकार मानकर = (ब)	94.773	95.914	96.6
पिछले वर्ष तक ऋण का संचयी पुनर्भुगतान (स)	14	14.96	15.83
प्रारम्भिक शुद्ध ऋण (ब) – (स) = (द)	80.773	80.954	80.77
अतिरिक्त पूंजी व्यय (ऊपर स्वीकृत) (ई)	1.63	0.98	0.52
स्वीकृत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये अतिरिक्त ऋण देय – (ई) का 70% मानकर = (एफ)	1.141	0.686	0.364
शुद्ध ऋण वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान (जी)	0.96	0.87	0.68
शुद्ध अन्तिम ऋण (डी) + (एफ) – (जी) = (एच)	80.954	80.77	80.454
औसत ऋण [(द) + (एच)/2] = आई	80.864	80.862	80.612
ऋण पर औसत भारित ब्याज दर (जे)	7.35%	7.48%	7.50%
ऋण पर ब्याज (आई) × (जे)	5.944	6.048	6.046

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ब) **ह्रास**

पावर स्टेशन का नाम – वाटसन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट

व्यापार चालू होने की तिथि/कार्य पूर्ण तिथि	1/04/95
चालू वर्ष का प्रारम्भ	1/4/10
उपयोगी अवधि (जीवन)	35 वर्ष
शेष उपयोगी जीवन	20 वर्ष

क्रम सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13
	वर्ष के प्रारम्भ में पूंजी लागत	135.39	137.02	138
	वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण	1.63	0.98	0.52
	अन्तिम पूंजी लागत	137.02	138	138.52
1.	औसत पूंजी लागत	136.205	137.51	138.26
2.	*घटाओ* : भूमि की लागत	0.000	0.000	0.000
3.	ह्रास के लिये पूंजी लागत (1–2)	136.205	137.51	138.26
4.	ह्रासित मूल्य (90% का 3)	122.585	123.759	124.434
5.	2008–09 तक ह्रास की वसूली	49.05	–	–
6.	2009–10 तक ह्रास की वसूली	3.26	–	–
7.	पिछले वर्ष तक का ह्रास की वसूली	52.31	55.824	59.400
8.	ह्रास की शेष राशि को वसूल करना	70.27	67.936	65.035
9.	शेष उपयोगी अवधि 35 वर्ष	20	19	18
10.	2010–11 से प्रति वर्ष ह्रास (8/9)	3.514	3.576	3.613
11.	अब तक के वर्ष के लिये वसूला गया ह्रास (7+10)	55.824	59.400	63.013

14. **मेसर्स डिवीजन का विभागीय व्यापारिक एवं लाभ–हानि खाता**

(31 दिसम्बर, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये)

	विभाग अ ₹	विभाग ब ₹		विभाग अ ₹	विभाग ब ₹
प्रारम्भिक स्टॉक	50,000	40,000	बिक्री खाता	10,00,000	15,00,000
क्रय खाता	6,50,000	9,10,000	अन्तिम स्टॉक	1,00,000	2,00,000
सकल लाभ	4,00,000	7,50,000			
	11,00,000	**17,00,000**		**11,00,000**	**17,00,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

सामान्य व्यय (बिक्री के अनुपात में)	50,000	75,000	सकल लाभ	4,00,000	7,50,000
लाभ का सामान्य लाभ हानि खाते में हस्तान्तरण	3,50,000	6,75,000			
	400,000	**750,000**		**4,00,000**	**7,50,000**

सामान्य लाभ–हानि खाता

	₹		₹
स्टॉक संचय की आवश्यकता (अतिरिक्त (अ) विभाग में स्टॉक) :		लाभ खाता	
50% (20,000 –10,000) (W.N. 1)	5,000	विभाग (अ)	3,50,000
विभाग (ब) में स्टॉक		विभाग (ब)	6,75,000
40% (30,000 – 5,000) (W.N. 2)	6,000		
शुद्ध लाभ	10,14,000		
	10,25,000		10,25,000

क्रियात्मक टिप्पणियां

(1) अ विभाग में स्टॉक समायोजन किया जायेगा जो (ब) विभाग में दर प्रभावी है = [(7,50,000 ÷ 15,00,000) × 100] = 50%

(2) ब विभाग के स्टॉक का समायोजन किया जायेगा जो (अ) विभाग में दर प्रभावी है = [(4,00,000 ÷ 10,00,000) × 100] = 40%

15. (अ) **शाखा की पुस्तकों में जर्नल लेखे**

		राशि डेबिट	राशि क्रेडिट
(i)	व्यय खाता डेबिट	2,800	
	मुख्य कार्यालय खाता		2,800
	(मुख्य कार्यालय द्वारा आबंटित व्यय को पूर्व में लेखा नहीं किया गया अब लेखा किया गया)		

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii)	डूबत ऋणों के लिये आयोजन खाता डेबिट मुख्य कार्यालय खाता (पूर्व मे डूबत ऋणों के लिये प्रावधान नहीं किया गया अब लेखा किया गया)	1,000	 1,000
(iii)	मुख्य कार्यालय खाता डेबिट वेतन खाता (मुख्य कार्यालय की तरफ से वेतन के भुगतान का सुधार किया गया)	3,000	 3,000
(iv)	मुख्य कार्यालय खाता डेबिट रोकड़ खाता (दूसरे शाखा में व्यय किये गये राशि को अब पुस्तकों में लेखा किया गया)	5,000	 5,000
(v)	शाखा पुस्तकों में लेखा की आवश्यकता नहीं है		
(vi)	व्यय खाता डेबिट मुख्य कार्यालय खाता (मुख्य कार्यालय के लिये आबंटित खर्चे का लेखा किया गया)	75,000	 75,000
(vii)	मुख्य कार्यालय खाता डेबिट देनदार खाता (मुख्य कार्यालय द्वारा शाखा के देनदारों का प्रत्यक्ष संग्रह करने पर समायोजन लेखा)	30,000	 30,000
(viii)	माल मार्ग में खाता डेबिट मुख्य कार्यालय खाता (मुख्य कार्यालय द्वारा प्रेषित माल अभी मार्ग में है)	10,000	 10,000

(ब) **अ ब स लि. के पुस्तकों में**

न्यूयॉर्क शाखा का तलपट (₹) में

31 **मार्च** 2015 **को**

	परिवर्तन दर प्रति US $	**डेबिट ₹**	**क्रेडिट ₹**
1.4.14 को स्टॉक	40	6,000	–
क्रय एवं बिक्रय	41	16,400	30,750

© The Institute of Chartered Accountants of India

विविध देनदार एवं लेनदार	42	8,400	6,300
विनिमय विपत्र	42	2,520	5,040
विविध व्यय	41	22,140	–
बैंक शेष	42	8,820	–
दिल्ली मुख्य कार्यालय खाता	–	–	22,190
		64,280	64,280

16.

विवरण	ऐतिहासिक लागत पर वित्तीय पूंजी का निर्वाह
अन्तिम समता (30 × 60,000 इकाइयां)	18,00,000 रोकड़ द्वारा प्रतिनिधित्व
प्रारम्भिक समता	60,000 इकाइयां × 20 = 12,00,000
पूंजी इंटकेट के लिए स्वीकृत आहरण	6,00,000 (18,00,000–12,00,000)

17. (अ) प्रति अंश मूलभूत उपार्जन की गणना

	विवरण	वर्ष 2012-13 ₹	वर्ष 2013-14 ₹
(i)	2012–13 वर्ष में मूलभूत उपार्जन प्रति अंश रिपोर्ट किया = समता अंशधारियों को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एट्रीब्यूटेड (Attributed) वर्ष के दौरान अदत्त भारित समता अंशों की संख्या $= \frac{22,00,000}{10,00,000 \text{ अंश}}$	2.20	
	अधिकार निर्गमन के लिये वर्ष 2012–13 के लिये प्रति अंश उपार्जन रीस्टेटेड (Restated) $= \frac{22,00,000}{10,00,000 \text{ अंश} \times 1.04}$	2.12	
	2013–14 के लिये प्रति अंश उपार्जन (अधिकार निर्गमन के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए) $= \frac{30,00,000}{\left(10,00,000 \times 1.04 \times \frac{4}{12}\right) + \left(12,00,000 \times \frac{8}{12}\right)}$		2.62

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रियात्मक टिप्पणियां

(1) **सैद्धान्तिक अधिकार रहित प्रति अंश उचित मूल्य की गणना**

$$\frac{\text{अधिकार को लागू करने से ठीक पूर्व सम्पूर्ण अदत्त अंशों का उचित मूल्य + अधिकार से प्राप्त कुल राशि}}{\text{अधिकार से पूर्व अदत्त अंशों की संख्या + अधिकार के कारण निर्गमित अंशों की संख्या}}$$

$$= \frac{(32 \times 10,00,000) + (24 \times 2,00,000)}{10,00,000 + 2,00,000} = ₹\ 30.83$$

(2) **समायोजन त्तव** (Adjustment Factor) **की गणना**

$$\frac{\text{अधिकार को लागू करने से पूर्व प्रति अंश उचित मूल्य}}{\text{सैद्धान्तिक अधिकार रहित उचित मूल्य प्रति अंश}}$$

$$= \frac{₹\ 32}{₹\ 30.83} = ₹\ 1.04 \text{ (लगभग)}$$

(ब) **(i) वार्षिक पट्टा भुगतान की गणना**

	₹
संयन्त्र की लागत	7,46,55,100
गारण्टी रहित अवशिष्ट मूल्य	1,00,000
गैर–गारण्टीयुक्त अवशिष्ट मूल्य का वर्तमान मूल्य (Present Value) तीन वर्षों के लिये @10% (₹ 1,00,000 × 0.751)	75,100
पट्टा भुगतान से उचित मूल्य की वापसी (₹ 7,46,55,100 – ₹ 75,100)	7,45,80,000
तीन वर्षों के लिये वर्ममान मूल्य (P.V.) @10% वार्षिक पट्टा भुगतान (₹ 7,45,80,000 / P.V. Factor 10% की दर से तीन वर्षों के लिए अर्थात् 2.486)	2.486 3,00,00,000

(ii) अनुपार्जित वित्त आय

कुल पट्टा भुगतान (₹ 3,00,00,000 × 3)	9,00,00,000
जोड़ो : अवशिष्ट मूल्य	1,00,000
सकल विनियोग	9,01,00,000
घटाओ : विनियोग का वर्तमान मूल्य (P.V.) (7,45,80,000 + 75,100)	7,46,55,100
अनुपार्जित वित्त आय	1,54,44,900

© The Institute of Chartered Accountants of India

18. **(अ)** लेखां मानक 16 ''ऋण लेने की लागत'' के पैरा 6 के अनुसार ऋण लेने की लागतें जो प्रत्यक्ष किसी योग्य सम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से जुड़ी हैं, उस सम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत की जानी चाहिये। पूंजीकृत हेतु योग्य ऋण लागतों की राशि इस मानक के अनुरूप निर्धारित की जानी चाहिये। अन्य ऋण लागतों को जिसमें उनको व्यय किया जाता है, उस अवधि में व्यय के रूप में मान्य हैं।

लेखा मानक 16 ''ऋण लेने की लागत'' के पैरा 10 में यह भी बताया गया है कि उस सीमा तक जहां तक कोषों को किसी योग्य सम्पत्ति को प्राप्त करने के विशिष्ट उद्देश्य हेतु उधार लिया जाता है। उस सम्पत्ति पर पूंजीकरण हेतु योग्य ऋण लेने की लागत की राशि अवधि के दौरान उस ऋण पर व्यय हुई वास्तविक ऋण लेने की लागत के रूप में निर्धारित होनी चाहिए, ऐसे ऋणों के अस्थायी निवेशों पर ऐसी आय को घटायें।

अतः योग्य (Eligible) ऋण की लागतें

= 1100,000 – 2,00,000 = ₹ 9,00,000

क्रम सं.	विवरण	सम्पत्ति की प्रकृति	ब्याज जिसका पूंजीकरण किया जाना (₹)	लाभ–हानि खाते में चार्ज किया जाने वाला ब्याज (₹)
1	कारखाना भवन का निर्माण	योग्य (Qualifying) सम्पत्तियां*	9,00,000 × 40 / 100 = 3,60,000	शून्य
2	मशीन का क्रय	अयोग्य (not qualifying) सम्पत्तियां	शून्य	9,00,000 × 35 / 100 = 3,15,000
3	कार्यशील पूंजी	अयोग्य सम्पत्तियां	शून्य	9,00,000 × 25 / 100 = 2,25,000
			3,60,000	5,40,000

*एक योग्य सम्पत्ति ऐसी सम्पत्ति है जो उसके अपेक्षित उपयोग या बिक्रय के लिये तैयार होने में महत्वपूर्ण अवधि को अवश्य लेती है।

(ब) लेखा मानक 5 ''अवधि के लिये शुद्ध लाभ या हानि, अवधि पूर्व मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन'' के पैरा 31 के अनुसार व्यवहार या घटना के लिये अपनाई गयी लेखांकन नीति, जो पहले हुई घटना या व्यवहार से महत्वपूर्ण अंतर रखती है तो इसे लेखांकन नीतियों में परिवर्तन नहीं माना जायेगा—

(i) इसके अनुसार, नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने पर तदर्थ ग्रेच्युटी के स्थान पर उनके लिये एक औपचारिक अवकाश ग्रेच्युटी योजना लागू करना, इसे लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) जो घटना या व्यवहार पहले घटित नहीं हुई या महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिये नई लेखांकन नीति अपनाने को लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं माना जाता है।

19. **(अ)** लेखा मानक 11 ''विदेशी विनियम दरों में परिवर्तन के प्रभाव'' में दिया गया है कि विनिमय अन्तरों को मौद्रिक मदें मानकर इसको लाभ–हानि विवरण में दिखाना चाहिये। इस केस में पैरा 46A में विकल्प को अपनाने पर, दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा एवं मौद्रिक मद परिवर्तन का समायोजन ह्रासित पूंजीगत सम्पत्ति की लागत में होगा या अन्य दूसरी दशाओं में ''विदेशी मुद्रा एवं मौद्रिक मद अनुवाद अन्तर वर्णन खाते'' (FCMITD) में परिशोधित (Amortised) किया जायेगा।

(i) **व्यापारिक प्राप्य**

विवरण	विदेशी मुद्रा	दर	₹
प्रारम्भिक मान्यता	US $ 12,919.90	38.70	5,00,000
आर्थिक चिट्ठा तिथि पर दर	–	45.80	–
विनिमय अन्तर	US $ 12,919.90	7.10	91.731
लाभ या हानि	–	–	लाभ
व्यवहार	–	–	लाभ–हानि खाते में क्रेडिट ₹ 91,731

(ii) **दीर्घकालीन ऋण**

विवरण	विदेशी मुद्रा	दर	₹
प्रारम्भिक मान्यता	US $ 1,68,539.33	35.60	60,00,000
आर्थिक चिट्ठा तिथि पर दर	–	45.90	–
विनिमय अन्तर	US $ 1,68,539.33	10.30	17,35,955
लाभ या हानि	–	–	हानि
व्यवहार	–	–	लाभ–हानि खाते में डेबिट 17,35,955 या FCMITD खाते में हस्तान्तरण कर परिशोधित करना

(ब) लेखा मानक 12 के पैरा 21 'सरकारी अनुदान हेतु लेखांकन' के अनुसार किसी विशिष्ट स्थायी सम्पत्ति से जुड़े अनुदान के सम्बन्ध में वापसी योग्य राशि को सम्पत्ति के पुस्तकीय मूल्य को बढ़ाकर या आस्थगित आय शेष को कम करके जैसा भी

© The Institute of Chartered Accountants of India

उपयुक्त लगे। जब सम्पत्ति के पुस्तक मूल्य में वृद्धि हो तो संशोधित पुस्तक मूल्य पर ह्रास, सम्पत्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाना चाहिये।

		लाख ₹ में
1 अप्रैल, 2011	मशीन के अधिग्रहण की लागत (1,500–300)	12,00.00
31 मार्च, 2012	*घटाओ* : ह्रास @ 20%	(240.00)
	पुस्तक मूल्य	960.00
31 मार्च, 2013	*घटाओ* : ह्रास @ 20%	(192.00)
	पुस्तक मूल्य	768.00
31 मार्च, 2014	*घटाओ* : ह्रास @ 20%	(153.60)
1 अप्रैल, 2014	पुस्तक मूल्य	614.40
मई, 2014	*जोड़ो* : अनुदान की वापसी	300.00
	संशोधित पुस्तक मूल्य	914.40

संशोधित पुस्तक मूल्य ₹ 914.40 लाख पर ह्रास @ 20% की दर से शेष बचे हुए उपयोगी जीवनकाल के अन्त में लगाया जायेगा अर्थात् 31 मार्च, 2015 एवं 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्षों के अन्त में।

20. (अ) लेखा मानक 26 के पैरा 44 के अनुसार कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर लागत इनकर्ड को तभी शोध एवं विकास व्यय की मान्यता प्राप्त होगी जब उस उत्पाद का तकनीकी साध्यता (Fesasibility) या सम्पत्ति की मान्यता प्राप्त होगी। तकनीकी साध्यता (Feasibility) या सम्पत्ति मान्यता तभी प्राप्त होगी जब विस्तृत कार्यक्रम योजना बनाई जाये या क्रियात्मक मॉडल बनाया जाये। इस केस में ₹ 45,000 व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिये (₹ 25,000 विस्तृत योजना बनाने एवं ₹ 20,000 कोडिंग एवं टेस्टिंग के लिये जो तकनीकी साध्यता/सम्पत्ति मान्यता मापदण्ड। तकनीकी साध्यता/सम्पत्ति मान्यता लागत का पूंजीकरण खर्च करने पर मान्यता प्राप्त होगी। सॉफ्टवेयर की पूंजीकरण लागत (42,000 + 12,000 + 13,000) = ₹ 67,000 है।

(ब) लेखा मानक 29 के पैरा 46 के अनुसार 'आयोजन, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक सम्पत्तियां' जहां कुछ या सभी व्ययों के निपटान की आवश्यकता है तथा अन्य पक्ष द्वारा पुनर्भरण (Reimburse) होना अनुमानित है। जब यह लगभग निश्चित है कि पुनर्भरण प्राप्त हो जायगा यदि उपक्रम दायित्व का निपटान करता है तो पुनर्भरण को एक पृथक सम्पत्ति के रूप में माना जाना चाहिये। पुनर्भरण हेतु मान्य राशि आयोजन की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपरोक्त के अनुसार, संभावित हानि घटेगी क्योंकि काउन्टर दावा तीसरे पक्ष के विरुद्ध किया जायेगा। इस केस में खाते में सम्भावित वसूली के बाद आयोजन की राशि का निर्धारण किया जायेगा, यदि महत्वपूर्ण अनिश्चित्ता का मापन निर्धारण या सामूहिक अस्तित्व नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्नपत्र 6 : अंकेक्षण तथा आश्वासन

(PAPER 6 : AUDITING AND ASSURANCE)

भाग I : शिक्षण अपडेट

(कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार विधायी संशोधन)

कम्पनी (लागत अभिलेख तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 : केंद्रीय सरकार ने कम्पनी (लागत अभिलेख तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 दिनांक 30 जून, 2014 को अधिसूचित किया जिसने कम्पनियों की उन श्रेणी को निर्धारित किया जिन्हें लेखा की पुस्तकों में लागत रिकॉर्ड, लागत अंकेक्षण को लागू करने, रिकॉर्ड का अनुरक्षण इत्यादि को सम्मिलित करना है।

कम्पनी (लागत अभिलेख तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 का **नियम 3** कम्पनियों की श्रेणियों को प्रदान करता है जिन्हें अपने लेखा की पुस्तकों में लागत रिकॉर्ड को सम्मिलित करना है। इन कम्पनियों में अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42) में परिभाषित विदेशी कम्पनियां सम्मिलित हैं। नियम के अन्तर्गत निर्धारित कुछ कम्पनियों को नीचे दिया है—

(A) व्यूहरचना क्षेत्र में निम्न वस्तुओं के उत्पादन में लिप्त कम्पनियां जैसे रक्षा, स्पेस, किसी सहायक मद अथवा मदों को छोड़कर अणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रयुक्त मशीनरी तथा यांत्रिकी उपकरण, टर्बो जेट तथा टर्बो प्रोपलर्स, हथियार तथा बारूद।

(B) खंडीय नियामक अथवा मंत्रालय अथवा केंद्रीय सरकार के विभाग द्वारा विनियमित उद्योग में लिप्त कम्पनियां जैसे वायु यातायात प्रबन्धन की वायु सेवा, भारतीय दूरसंचार विनायमक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत भारतीय दूर संचार विनायमक प्राधिकरण द्वारा विनियमत की संप्रेषण अथवा चिह्न संकेत, लेख, प्रतिबिम्ब, ध्वनि अथवा किसी प्रकृति की गुप्तचरता (प्रसारण सेवा को छोड़कर) के द्वारा उपयोगकर्ता को उपलब्ध करवायी गयी दूर संचार सेवा।

(C) जनहित में लिप्त क्षेत्रों में परिचालित कम्पनियाँ जैसे खनिज उत्पाद जिसमें सीमेंट सम्मिलित है, अयस्क, निर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवा में लिप्त कम्पनियां जैसे अस्पताल को चलाना, निदान केंद्र, क्लीनिकल अथवा टेस्ट प्रयोगशाला।

(D) निम्नलिखित चिकित्सा उपकरण जैसे हृदय वाल्व, अस्थि इम्पलांट, पेस मेकर्स (अस्थायी तथा स्थायी) के उत्पादन, आयात तथा आपूर्ति अथवा व्यापार में लिप्त कम्पनियां (सम्पर्क कार्यालय को छोड़कर विदेशी कम्पनियों सहित)।

कम्पनी (लागत अभिलेख तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 के **नियम 5** के अनुसार, इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी जिसमें उनकी इकाइयां सम्मिलित तथा उसकी शाखा को 1 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रत्येक के संबंध में फॉर्म **CRA-1** में रिकॉर्ड को बनाये रखना होगा। लागत रिकॉर्ड को नियमित आधार पर इस तरीके में रखा जायेगा जो मासिक अथवा त्रैमासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसके उत्पाद तथा गतिविधियों के लिए उत्पादन की लागत अथवा परिचालन की लागत, बिक्री की लागत की प्रति इकाई अथवा मार्जिन की गणना को सुलभ करता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

कम्पनी (लागत अभिलेख तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 का **नियम 6** उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के 180 दिवस के अंदर अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए कहते हैं। प्रत्येक संदर्भित कम्पनी संबंधित अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति के बारे में सूचित करेगा तथा कम्पनी (पंजीकरण कार्यालय तथा शुल्क) नियम, 2014 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ फॉर्म **CRA-2** में इलेक्ट्रोनिक माध्यम के जरिये, बोर्ड मीटिंग की तीस दिवस की अवधि के अंदर अथवा वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के एक सौ अस्सी दिवस की अवधि जो भी पहले हैं केंद्रीय सरकार के साथ इस प्रकार की नियुक्ति का नोटिस फाइल करेगी।

इस तरह नियुक्त लागत अंकेक्षक वित्तीय वर्ष की समाप्ति को एक सौ अस्सी दिवस अथवा वित्तीय वर्ष जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट को जमा करता है एक उसी क्षमता में बना रहेगा।

लागत अंकेक्षक **फॉर्म CRA-3** में अपनी रिजर्वेशन अथवा मर्यादा अथवा अवलोकन अथवा सुझााव सहित लागत अंकेक्षण रिपोर्ट देगा। वह वित्तीय वर्ष जिसमें रिपोर्ट संबंधित है की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिवस की अवधि के अंदर कम्पनी के निदेशक मंडल को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा तथा निदेशक मंडल इस प्रकार की रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा उसमें समाहित किसी रिजर्वेशन अथवा मर्यादा का परीक्षण करेगा।

धोखाधड़ी पर रिपोर्ट का कर्तव्य—कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) का प्रावधान तथा धोखाधड़ी पर रिपोर्ट करने के कर्तव्य पर प्रासंगिक नियम अधिनियम की धारा 148 तथा इसके नियम के अन्तर्गत लागत अंकेक्षक पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

कुछ मामलों में लागत अंकेक्षक नियम लागू नहीं होते—इन नियमों के अन्तर्गत लागत अंकेक्षण की आवश्यकता एक कम्पनी पर लागू नहीं होगी जो नियम 3 के अन्तर्गत कवर है, तथा

(i) जिसका विदेशी मुद्रा में निर्यात से राजस्व इसके कुल राजस्व का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है, अथवा

(ii) जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से परिचालित है।

लागत अंकेक्षण रिपोर्ट का जमा करना—एक कम्पनी तैयार लागत अंकेक्षण रिपोर्ट (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत) की प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीस दिवस के अंदर कम्पनी (पंजीकरण कार्यालय तथा शुल्क) नियम, 2014 में निर्दिष्ट शुल्क सहित फॉर्म **CRA-4** में प्रत्येक रिजर्वेशन अथवा मर्यादा पर पूर्ण सूचना तथा स्पष्टीकरण के साथ इस प्रकार की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देगा यदि इस धारा के अन्तर्गत संदर्भित लागत अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने तथा कम्पनी द्वारा स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार की राय है कि कोई आगे की सूचना अथवा स्पष्टीकरण आवश्यक है, यह आगे की सूचना तथा स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है तथा कम्पनी उसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय में जमा करेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India